



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98।

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2011/वैशाख 21, 1933

No. 98।

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2011/VAISAKHA 21, 1933

## भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2011

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011

(2011 का संख्यांक 3)

फा. सं. 1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/सीसीआई.—प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उप-धारा (2) और उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 64 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 है।

(2) ये 1 जून, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

## 2. परिभाषाएँ.—

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) "संयोजन" से विनियम की धारा 5 में यथावर्गित कोई संयोजन अभिप्रेत और सम्मिलित है तथा इन विनियमों में संयोजन के प्रति किसी निर्देश से, यथास्थिति, कोई प्रस्तावित संयोजन या यदि कोई संयोजन प्रभाव में आ गया है, तो संयोजित अस्तित्व अभिप्रेत होगा;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है और इसमें उक्त धारा के अधीन नियुक्त कोई अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक भी सम्मिलित हैं;

(ङ) "उद्यम" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित 'उद्यम' अभिप्रेत है;

(च) “संयोजन के पक्षकार” से संयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति या उद्यम अभिप्रेत हैं और यदि संयोजन प्रभाव में आ गया है तो इसमें संयोजित अस्तित्व भी सम्मिलित होगा;

(छ) “सचिव” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष द्वारा सचिव के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत आयोग का कोई अधिकारी भी सम्मिलित है।

(2) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इन विनियमों या अधिनियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, ‘दिन’ के प्रतिनिर्देश से कलेंडर दिवस अभिप्रेत होगा।

(3) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम या तद्धीन विरचित नियमों या विनियमों या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में है।

### 3. क्रतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति--

इन विनियमों या भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में उपबंधित न की गई किसी परिस्थिति में आयोग, यदि अपेक्षित हो, तो विनिर्दिष्ट मामलों में प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा।

### 4. भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाले संव्यवहारों का प्रवर्ग--

आयोग को अधिनियम की धारा 18 के अधीन सौंपे गए कर्तव्य और धारा 36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को देखते हुए और आयोग को, अन्य बातों के साथ, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार ऐसे संयोजनों को, जिनके द्वारा प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, विनियमित करने के लिए दी गई आज्ञा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि अनुसूची 1 में उल्लिखित संयोजनों के प्रवर्गों से, सामान्यतः भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सामान्यतः सूचना फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

### 5. प्रस्तावित संयोजन के लिए सूचना का प्ररूप--

(1) ऐसा कोई उद्यम, जो किसी संयोजन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) और इन विनियमों के अनुसार आयोग को ऐसे संयोजन की सूचना देगा।

(2) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना सामान्यतः इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप 1 में फाइल की जाएगी, जिसे संयोजन के पक्षकारों द्वारा सम्यक् रूप से भरा और सत्यापित किया जाएगा और जिसके साथ अपेक्षित फीस के संदाय का साक्ष्य भी लगा होगा तथा इसे ऐसी परिस्थितियों में भरा जाएगा जिनमें ऐसी परिस्थितियां सम्मिलित हैं जहां,—

(क) संयोजन का कोई भी पक्षकार एक जैसे, समान या प्रतिस्थापनीय भालों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार में अथवा एक जैसी, समान या प्रतिस्थापनीय सेवाओं के उपबंध में नहीं लगा है या संयोजन के पक्षकार ऐसे मालों या सेवाओं के उपबंध के, जिसमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार लगा है,

उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार के संबंध में विभिन्न बाजारों में उत्पादन शृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर नहीं लगे हैं।

- (ख) संयोजन के पक्षकार मुख्य रूप से भारत से मालों या सेवाओं के निर्यात में लगे हैं और संयोजन प्रभावी होने के पश्चात् भी मुख्य रूप से भारत से मालों या सेवाओं के निर्यात में लगे रहते हैं :

परंतु यह कि संयोजित अस्तित्व का संयुक्त बाजार शेयर भारत के सुसंगत बाजार में पन्द्रह प्रतिशत (15%) से कम है।

स्पष्टीकरण : संयोजन के किसी पक्षकार को तब मुख्य रूप से भारत से मालों या सेवाओं के निर्यात में लगा हुआ समझा जाएगा, यदि संयोजन के ऐसे पक्षकार की कुल आवर्त का न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत (75%) भारत से बाहर निर्यात किए जाने से उद्भूत होता है।

- (ग) किसी उद्यम पर अर्जन या उसके नियंत्रण का अर्जन न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों के माध्यम से नियुक्त परिसमाप्क, प्रशासक या रिसीवर द्वारा अथवा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनःसंरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 या बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 या विधि के किसी अन्य उपांतरण या पुनः अधिनियमिति के अधीन अनुमोदित किसी स्कीम के माध्यम से किया जाता है।

- (घ) कोई अर्जन, उपहार या उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप है।

- (ङ) अर्जन किसी न्यासी कंपनी का है या समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (परस्पर निधि) विनियम, 1996 के अधीन स्थापित किसी परस्पर निधि के न्यासियों में परिवर्तन से उद्भूत हुआ है :

- (च) संयोजन के पक्षकार एक जैसे, समान या प्रतिस्थापनीय मालों के उत्पादन या प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार अथवा एक जैसी, समान या प्रतिस्थापनीय सेवाओं के उपबंध में लगे हैं और ऐसे संयोजन के पश्चात् संयोजन के पक्षकारों का संयुक्त बाजार शेयर सुसंगत बाजार में पन्द्रह प्रतिशत (15%) से कम है।

- (छ) संयोजन के पक्षकार मालों या सेवाओं के उपबंध के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार के संबंध में विभिन्न बाजारों में उत्पादन शृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर लगे हैं और ऐसे संयोजन के पश्चात् संयोजन के पक्षकारों का व्यष्टिक या संयुक्त बाजार शेयर सुसंगत बाजार में पच्चीस प्रतिशत (25%) से कम है।

- (3) उपविनियम के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संयोजन के पक्षकार, अपने विकल्प पर प्ररूप 1 के संबंध में अतिरिक्त समर्थनकारी दरतावेज, यदि कोई हो, संलग्न कर सकेंगे या इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप 2 में सूचना फाइल कर सकेंगे।

(4) जहां किसी जांच के अनुक्रम में, आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि उसे किसी अतिरिक्त जानकारी की अपेक्षा है, वहां आयोग संयोजन के पक्षकारों को ऐसी अतिरिक्त जानकारी फाइल करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यह कि संयोजन के पक्षकारों द्वारा ऐसी अतिरिक्त जानकारी को फाइल करने में लगने वाले समय को अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) में और इन विनियमों के विनियम 19 के उपविनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि से घटा दिया जाएगा ।

(5) उपविनियम (2) और उपविनियम (3) के उपर्युक्त रूप से ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में जहां पक्षकारों ने प्ररूप 1 में सूचना फाइल की है और आयोग इस संबंध में अपनी प्रथमदृष्ट्या राय बनाने के लिए कि क्या संयोजन के कारण सुसंगत बाजार के भीतर प्रतिरक्षित पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, प्ररूप 2 में जानकारी की अपेक्षा करता है, वहां वह संयोजन के पक्षकारों को, इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप 2 में सूचना फाइल करने का निदेश देगा :

परंतु यह कि संयोजन के पक्षकारों द्वारा प्ररूप 1 में सूचना फाइल करते समय पहले से संदर्भ फीस को प्ररूप 2 के लिए संदेय फीस में से कम कर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि संयोजन के पक्षकारों द्वारा प्ररूप 2 में सूचना को फाइल करने में लिए गए समय को अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) और इन विनियमों के विनियम 19 के उपविनियम (1) में यथाउपर्युक्त से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(6) यदि प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में के किन्हीं स्तंभों के संबंध में अपेक्षित व्यौरे उपलब्ध नहीं हैं तो संयोजन के पक्षकारों द्वारा वह तारीख, जिनकों उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से उन स्तंभों के सामने उपदर्शित की जानी चाहिए :

परंतु यह कि संयोजन के पक्षकारों द्वारा अपेक्षित व्यौरे प्रस्तुत करने में लिए गए समय को अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) और इन विनियमों के विनियम (1) में उपर्युक्त अवधि में से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(7) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) में 'निदेशक बोर्ड' के प्रतिनिर्देश से निम्नलिखित अभिप्रेत होंगे और उसमें सम्मिलित होंगे :-

- (क) व्यष्टि स्वयं, जिसके अंतर्गत किसी स्वामित्व वाली फर्म का एकमात्र स्वामी भी है ;
- (ख) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में कर्ता ;
- (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी की दशा में निदेशक बोर्ड ;
- (घ) किसी केंद्रीय या राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी या व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टियों के किसी निकाय, चाहे वे भारत या भारत से बाहर नियमित हैं अथवा नहीं या भारत से बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या उसके अधीन नियमित किसी निगम निकाय या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी

विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी या किसी स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, उक्त निकायों को सृजित करने वाली विधिक लिखत द्वारा सशक्त व्यक्ति या निकाय ;

- (ड) किसी फर्म की दशा में, इस प्रकार प्राधिकृत कोई भागीदार ;
- (च) किसी अन्य कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो किसी भी पूर्ववर्ती उपखंड के अंतर्गत नहीं आता है, वह व्यक्ति या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए सक्षम कोई अन्य व्यक्ति ।

(8) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) में 'अन्य दस्तावेज' के प्रतिनिर्देश से ऐसा कोई आबद्धकर दस्तावेज अभिप्रेत होगा, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो और जो किसी करार का या नियंत्रण, शेयर या मताधिकार या आस्तियों को अर्जित करने के निर्णय को संप्रेक्षित करता हो :

परंतु यदि ऐसा अर्जन, अर्जित किए जाने वाले उद्यम की सहमति के बिना है तो अर्जन करने वाले उद्यम द्वारा निष्पादित कोई दस्तावेज, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो और जो किसी करार का या नियंत्रण, शेयर या मताधिकार या आस्तियों को अर्जित करने के निर्णय को संप्रेक्षित करता हो, 'अन्य दस्तावेज' होगा :

परंतु यह और कि जहां ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है, किंतु अर्जन किए जाने के आशय की संसूचना केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी को दे दी गई है, वहां ऐसी संसूचना की तारीख को अर्जन के लिए अन्य दस्तावेज के निष्पादन की तारीख समझा जाएगा ।

**6. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन अर्जन के व्यौरों को फाइल करना-**

(1) किसी लोक वित्तीय संस्था, विदेशी संस्थागत निवेशक, बैंक या उद्यम पूँजी विधि द्वारा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अर्जन के व्यौरों को इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप 3 में बिना किसी फीस के फाइल किया जाएगा ।

(2) सम्यक् रूप से भरा गया और सत्यापित प्ररूप 3, उसके इलेक्ट्रॉनिक पाठ की दो प्रतियों के साथ आयोग को, उसकी शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशित पते पर प्रेषित किया जाएगा ।

**7. विलंबित सूचना-**

जहां इन विनियमों के विनियम 5 के उपविनियम (2) या उपविनियम (3) के अधीन प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में फाइल की गई सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त होती है, वहां आयोग अधिनियम की धारा 43क सहित अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी सूचना को स्वीकार कर सकेगा ।

**8. सूचना फाइल करने में असफल रहना-**

(1) जहां संयोजन के पक्षकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना फाइल करने में असफल रहते हैं, वहां आयोग अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन अपने स्वयं के ज्ञान से या ऐसे संयोजन से संबंधित सूचना के आधार पर इस बात की जांच कर सकेगा

कि क्या ऐसे संयोजन के कारण भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है ।

(2) जहां आयोग उपविनियम (1) में निर्दिष्ट कोई जांच प्रारंभ करने का विनिश्चय करता है, वहां आयोग ऐसी शास्ति, जो अधिरोपित की जा सकेगी या ऐसे अभियोजन, जो इस अधिनियम के अधीन प्रारंभ किया जा सकेगा, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संयोजन के पक्षकारों को इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप 2 में सूचना फाइल करने का निदेश दे सकेगा, जिसे सम्यक् रूप से भरा और सत्यापित किया जाएगा और उसके साथ अपेक्षित फीस के संदाय का साक्ष्य भी लगा होगा ।

(3) उपविनियम (2) में निर्दिष्ट रूचना को संयोजन के पक्षकारों द्वारा आयोग से संसूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर फाइल किया जाएगा ।

#### 8. सूचना फाइल करने की वाध्यता--

(1) किसी उद्यम के अर्जन, या उसके नियंत्रण के अर्जन की दशा में, अर्जनकर्ता यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में सूचना फाइल करेगा, जिस पर भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 11 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) उस दशा में, जहां किसी उद्यम का अर्जन उसकी सहमति के बिना किया जा रहा है, वहां अर्जनकर्ता अर्जित किए जाने वाले उद्यम के संबंध में उसे उपलब्ध ऐसी जानकारी को यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में प्रस्तुत करेगा ।

परंतु यह कि अर्जित किए जाने वाले उद्यम के संबंध में फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी जानकारी को, आयोग को सूचना फाइल करने से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और उस दशा में, जहां अर्जनकर्ता अर्जित किए जाने वाले उद्यम के संबंध में उसे उपलब्ध ऐसी जानकारी को यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, वहां आयोग अर्जित किए जाने वाले उद्यम को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा, जिसे वह उचित समझता है और, यथास्थिति, संयोजन के पक्षकारों या अर्जित उद्यम द्वारा अपेक्षित जानकारी, जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, प्रस्तुत करने में लगने वाले समय को अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) और इन विनियमों के विनियम 19 के उपविनियम (1) में उपबंधित अवधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(3) विलयन या समामेलन की दशा में, संयोजन के पक्षकार संयुक्त रूप से, यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में सूचना फाइल करेंगे, जिस पर भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 11 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(4) जहां किसी कारबार संव्यवहार के अंतर्गत आशयित प्रभाव की पूति चरणों की एक श्रृंखला द्वारा या ऐसे छोटे-छोटे व्यष्टिक संव्यवहारों द्वारा होती है, जो एक-दूसरे से अंतः-संबद्ध या अंतः-निर्भर हैं और जिनमें से एक या अधिक को संयोजन समझा जा सकता है, वहां इन सभी संव्यवहारों को सम्मिलित करते हुए संयोजन के पक्षकारों द्वारा एकल सूचना फाइल की जा सकेगी ।

**10. फीस संदाय करने की बाध्यता-**

(1) इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन सूचना फाइल करने वाला व्यक्ति या उद्यम इन विनियमों के विनियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा ।

(2) जहां सूचना संयुक्त रूप से फाइल की जाती है वहां फीस संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से संदेय होगी ।

**11. फीस की रकम-**

यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में की सूचना के साथ संदेय फीस की रकम निम्नानुसार होगी :-

(क) जहां सूचना प्ररूप 1 में फाइल की जाती है, वहां संदेय फीस की रकम पचास हजार रुपए (50,000 रुपए) होगी ।

(ख) जहां सूचना प्ररूप 2 में फाइल की जाती है, वहां संदेय फीस की रकम दस लाख रुपए (10,00,000 रुपए) होगी ।

**12. संदाय की पद्धति-**

फीस का संदाय, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि), नई दिल्ली के पक्ष में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट, संदाय आदेश या बैंकर चैक प्रस्तुत करके या भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि), “पंजाब नेशनल बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066” के खाता संख्यांक 1988002100187687 में सीधे प्रेषण द्वारा इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के माध्यम से किया जा सकेगा ।

**13. सूचना फाइल करने की प्रक्रिया-**

(1) इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन सम्यक् रूप से भरी गई और सत्यापित सूचना को, उसकी दो प्रतियों और एक इलैक्ट्रॉनिक पाठ के साथ आयोग को, उसकी शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशित पते पर प्रदत्त किया जाएगा ।

(2) इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन सूचना फाइल करने के परिणामस्वरूप आयोग के समक्ष फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित सभी प्रत्युतरों और अन्य दस्तावेजों को उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार फाइल किया जाएगा :

परंतु यह कि इस विनियम के प्रयोजन के लिए, सचिव लोक उद्घोषणा के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए प्रक्रिया, प्रस्तुत की जाने वाले प्रतियों की संख्या में कमी या वृद्धि या उस प्ररूप में, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक पाठ फाइल किया जाना है, अंतर करने की सूचना दे सकेगा ।

**14. सूचना की संवीक्षा-**

(1) इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन फाइल की गई सूचना तब तक विधिमान्य और पूर्ण नहीं होगी जब तक कि वह इन विनियमों के अनुरूप न हो ।

(2) सचिव सूचना की प्राप्ति की अभिरक्षीकृति जारी करेगा ।

(3) जहां इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन सूचना में अंतर्विष्ट जानकारी या दस्तावेज (दस्तावेजों), में कोई त्रुटि (त्रुटियों) हैं या वे किसी भी रूप में अपूर्ण हैं, वहां संयोजन के पक्षकारों को आयोग द्वारा ऐसी त्रुटि (त्रुटियों) को दूर करने या दस्तावेज (दस्तावेजों) सहित अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ।

(4) सचिव, उपविनियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट संसूचना की संयोजन के पक्षकारों को तामील का सबूत अभिलेख पर रखेगा ।

(5) पक्षकार, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपविनियम (3) में यथानिर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन करेंगे और विनियम 5 के अधीन फाइल की गई सूचना की दशा में, पक्षकारों द्वारा ऐसी त्रुटियों को दूर करने में या दस्तावेज (दस्तावेजों) सहित अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में लिए गए समय को अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) और इन विनियमों के विनियम 19 के उपविनियम (1) में उपबंधित से अपवर्जित कर दिया से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(6) पक्षकारों द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियां को दूर करने में या दस्तावेज (दस्तावेजों) सहित अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में, इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन फाइल की गई सूचना को विधिमान्य सूचना के रूप में नहीं माना जाएगा ।

#### 15. समय-सीमा की संगणना-

(1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) के अधीन अवधि, इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन लिखित में फाइल की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से आरंभ होगी ।

#### 16. किसी परिवर्तन की संसूचना-

(1) संयोजन के ऐसे पक्षकार, जिन्होंने इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन सूचना फाइल की है, सूचना में दी गई किसी जानकारी में हुए किसी परिवर्तन को, अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के जारी रहने के दौरान यथासंभवशीघ्र आयोग को सूचित करेंगे ।

(2) सचिव, सूचना में किसी परिवर्तन से संबंधित जानकारी को, आयोग में उसकी प्राप्ति के तीन कार्यदिवसों के अपश्चात् आयोग के समक्ष रखेगा ।

(3) आयोग उस परिवर्तन से संबंधित सूचना के महत्व का भूल्यांकन करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है तो वह प्राप्त जानकारी को अभिलेख पर रखेगा ।

(4) जहां आयोग की यह राय है कि उस परिवर्तन से महत्वपूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव के अवधारण के लिए कारकों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् और कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् पहले से फाइल की गई सूचना को अविधिमान्य के रूप में मानेगा ।

(5) जहां आयोग ने उपविनियम (4) के अधीन किसी सूचना को अविधिमान्य के रूप में अभिनिर्धारित किया है, वहां सचिव आयोग के ऐसे निर्णय को, आयोग के निर्णय के सात दिन के भीतर संयोजन के पक्षकारों को प्रेषित करेगा :

परंतु यह कि यदि संयोजन के पक्षकारों द्वारा आयोग के निर्णय की संसूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उसी संव्यवहार के लिए कोई सूचना पुनः फाइल की जाती है तो कोई अतिरिक्त फीस संदेय नहीं होगी ।

### 17. कार्यवाहियों की समाप्ति-

संयोजनों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को निम्नलिखित दशाओं में समाप्त कर दिया जाएगा,—

(क) सूचना फाइल करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) या उद्यम (उद्यमों) द्वारा इस प्रभाव की संसूचना प्राप्त होने पर कि प्रस्तावित संयोजन प्रभावी नहीं होगा ;

(ख) आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 31 के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने पर ;

### 18. सूचना (सूचनाओं), आदि की तामील की पद्धति-

इस अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना को छोड़कर किसी सूचना या किसी व्यक्ति या उद्यम को इन विनियमों के अधीन संसूचना की तामील, भारत का प्रतिरप्द्या आयोग (साधारण) विनियम, 2009 के विनियम 22 में यथाउपबंधित रीति में या आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर इलैक्ट्रॉनिक प्रेषण द्वारा की जाएगी ।

### 19. संयोजन के संबंध में प्रथमदृष्ट्या राय--

(1) आयोग, यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में फाइल की गई सूचना पर, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन उक्त सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर, इस बारे में प्रथमदृष्ट्या राय बनाएगा कि क्या ऐसे संयोजन से भारत के सुसंगत बाजार के भीतर प्रतिरप्द्या पर कोई पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या उससे ऐसा प्रभाव पड़ा है ।

(2) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अपनी प्रथमदृष्ट्या राय बनाने के प्रयोजन के लिए आयोग, यदि आवश्यक समझता है तो संयोजन के पक्षकारों से अतिरिक्त जानकारी फाइल करने या उपांतरण रचीकार करने, यदि पक्षकारों द्वारा संयोजन के संबंध में ऐसा प्रस्ताव आयोग द्वारा उपविनियम (1) के अधीन प्रथमदृष्ट्या राय बनाने से पूर्व किया जाता है, की अपेक्षा कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे :

परंतु यह कि संयोजन के पक्षकारों द्वारा अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने या उपांतरण प्रस्तावित करने में लिए गए समय को अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) और इस विनियम के उपविनियम (1) में उपबंधित अवधि में से अपवर्जित किया जाएगा :

परंतु यह और कि उस दशा में, जहां संयोजन के पक्षकारों द्वारा, आयोग द्वारा उपविनियम (1) के अधीन प्रथमदृष्ट्या राय बनाने से पूर्व उपांतरण का प्रस्ताव किया जाता है, वहां प्रस्तावित उपांतरण के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय, जो 15 दिन से अधिक नहीं होगा, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) और इस विनियम के उपविनियम (1) में उपबंधित अवधि में से अपवर्जित किया जाएगा ।

(3) जहां आयोग ऐसा आवश्यक समझता है, वहां वह इस बात की जांच करते समय कि क्या किसी संयोजन के कारण भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, किसी अन्य उद्यम से कोई जानकारी मांग सकेगा ।

## 20. महानिदेशक से रिपोर्ट मांगना -

(1) संयोजन के पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर की प्राप्ति के पश्चात् आयोग अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1ब) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर महानिदेशक से रिपोर्ट मांगने का विनियम कर सकेगा ।

(2) सचिव, महानिदेशक को उपविनियम (1) के अधीन आयोग के निदेश का, संयोजन के पक्षकारों द्वारा फाइल की गई सूचना की प्रति और ऐसे अन्य सभी दस्तावेजों, सामग्रियों, जप्त-पत्रों, विवरणों के साथ, जो फाइल किए गए हैं या अन्यथा उक्त सूचना के साथ उपलब्ध हैं, संयोजन के पक्षकारों को कारण बताओ सूचना और उसके संबंध में पक्षकारों के प्रत्युत्तरों के साथ प्रेषण करेगा ।

## 21. महानिदेशक द्वारा रिपोर्ट-

(1) महानिदेशक अपनी रिपोर्ट में, अन्वेषण के दौरान एकत्रित सभी साक्षों या दस्तावेजों या विवरणों और उनके विश्लेषण के साथ उसके निष्कर्षों के आधार को सम्मिलित करेगा ।

(2) महानिदेशक की रिपोर्ट की दो प्रतियां, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर महानिदेशक या उसके प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, दस्तावेज प्ररूप में उसके इलैक्ट्रॉनिक पाठ के साथ आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सचिव को अग्रेषित की जाएंगी :

परंतु यह कि सचिव रिपोर्ट की प्रतियों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकेगा और उसके इलैक्ट्रॉनिक प्रेषण की अनुमति भी दे सकेगा ।

## 22. संयोजन के व्यौरों का प्रकाशन-

(1) जहां अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन आयोग की प्रथमदृष्ट्या राय यह है कि संयोजन के कारण भारत के सुसंगत बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, वहां सचिव, ऐसे निर्णय के चार कार्यदिवसों के भीतर आयोग के निदेश की सूचना संयोजन के पक्षकारों को देगा, जो ऐसे निदेश की तारीख से 10 कार्यदिवसों के भीतर संयोजन के व्यौरों को प्रकाशित करेंगे ।

(2) पक्षकारों द्वारा संयोजन के व्यौरों का प्रकाशन इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप 4 में किया जाएगा ।

(3) पक्षकार उपविनियम (2) के अधीन प्रकाशित किए जाने वाले संयोजन के व्यौरों को उनके प्रकाशन से पूर्व आयोग को प्रस्तुत करेंगे और आयोग उन्हें अपनी शासकीय वेबसाइट पर रख सकेगा ।

(4) उपविनियम (2) के अधीन प्रकाशित किए जाने वाले संयोजन के व्यौरों को पक्षकारों द्वारा, उद्यमों की अपनी-अपनी वेबसाइटों पर रखा जाएगा और ऐसा उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा ।

(5) पक्षकार उपविनियम (2) के अधीन संयोजन के व्यौरों का प्रकाशन, 4 प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों, जिनके अंतर्गत कम से कम दो कारबार समाचार-पत्र भी होंगे, के अखिल भारतीय संस्करणों में करेंगे और ऐसा उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा।

### 23. प्रकाशन का स्वूत-

संयोजन के पक्षकार विनियम 22 में निर्दिष्ट प्रकाशन की प्रतियां, सचिव को आयोग द्वारा संयोजन के व्यौरों के प्रकाशन के निदेश के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

### 24. आयोग के समक्ष पक्षकारों का उपसंजात होना-

जहां आयोग किसी व्यौहार के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व अधिनियम की धारा 31 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संयोजन के पक्षकारों को सुनवाई की एक अवसर देना आवश्यक समझता है, वहां सचिव उक्त पक्षकारों को उसके समक्ष प्रस्तुत होने के उसके निदेशों की संसूचना आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि की सूचना देते हुए करेगा।

### 25. प्रस्तावित संयोजन में उपांतरण-

(1) जहां आयोग की यह राय है कि संयोजन के कारण प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभवना है, किंतु ऐसे प्रतिकूल प्रभाव को ऐसे संयोजन में उचित उपांतरण करके दूर किया जा सकता है वहां वह ऐसे संयोजन के पक्षकारों को संयोजन में उपयुक्त उपांतरण करने का प्रस्ताव कर सकेगा।

(2) जहां संयोजन के पक्षकारों ने अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा प्रस्तावित उपांतरण को स्वीकार कर लिया है या आयोग पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित उपांतरण का संशोधन करने के लिए सहमत है और अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (7) के अधीन संयोजन का अनुमोदन करता है या पक्षकार अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (8) के उपबंधों के निबंधनानुसार आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन प्रस्तावित उपांतरण को स्वीकार करते हैं, वहां संयोजन के पक्षकार आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार ऐसा उपांतरण कारित करेंगे और इस प्रभाव का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(3) जहां पक्षकार अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा प्रस्तावित उपांतरण को स्वीकार करते हैं या आयोग पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत संशोधन से सहमत हैं, वहां वह आदेश द्वारा संयोजन का अनुमोदन करेगा।

(4) यदि संयोजन के पक्षकार आयोग द्वारा प्रस्तावित उपांतरण को अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट अवधि या अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट आगे और अवधि के भीतर स्वीकार करने में असफल रहते हैं, वहां संयोजन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव डालता है और उस पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

### 26. पक्षकारों द्वारा उपांतरण कारित करने का अनुपालन-

(1) संयोजन के पक्षकार, इन विनियमों के विनियम 25 में निर्दिष्ट उपांतरण आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर कारित करेंगे।

(2) संयोजन के पक्षकार, उपांतरण पूरा किए जाने के पश्चात् 7 दिन के भीतर संयोजन को प्रभावी किए जाने के लिए अपेक्षित कार्रवाईयां प्रारंभ करने के लिए सचिव के समक्ष एक अनुपालन रिपोर्ट फाइल करेंगे।

(3) उस दशा में, जहां संयोजन के पक्षकार उपविनियम (2) के अधीन अनुपालन रिपोर्ट फाइल करने में असफल रहते हैं, वहां सचिव ऐसे अननुपालन के मामले को उपयुक्त निदेशों के लिए आयोग के समक्ष रखेगा।

**27. उपांतरण के पर्यावलोकन के लिए स्वतंत्र अभिकरणों की नियुक्ति-**

(1) जहां आयोग की यह राय है कि उसके द्वारा प्रस्तावित और संयोजन के पक्षकारों द्वारा स्वीकृत उपांतरण के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता है वहां वह ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आयोग द्वारा विनिश्चित किए जा सकेंगे, उपांतरण के पर्यावलोकन के लिए अभिकरण नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त अभिकरण संयोजन के पक्षकारों से स्वतंत्र होंगे और उनके हितों का कोई विरोधाभास नहीं होगा। इस विनियम में विनिर्दिष्ट ऐसे स्वतंत्र अभिकरणों में कोई लेखाकरण फर्म, प्रबंध परामर्शक, विधि फर्म, कोई अन्य वृत्तिक संगठन या उसका कोई भाग या कोई विख्यात स्वतंत्र व्यवसायी समिलित हो सकेंगे।

(3) उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त अभिकरण आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उत्तरदायित्वों को पूरा करेंगे।

(4) उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त अभिकरण, उपांतरण कारित करने के लिए अपेक्षित कार्यवाहियों में से प्रत्येक के पूरा होने पर आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(5) उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त अभिकरणों को संदाय संयोजन के पक्षकारों द्वारा किया जाएगा, जो इसे आयोग के पास जमा करेंगे या जैसा कि आयोग द्वारा निदेश दिया जाए।

**28. आयोग के आदेश--**

(1) जहां आयोग की यह राय है कि संयोजन के कारण भारत के सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है तो वह अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन यह आदेश पारित करेगा कि संयोजन प्रभावी नहीं होगा।

(2) जहां आयोग की यह राय है कि संयोजन के कारण प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है या पड़ने की संभावना नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन संयोजन को अनुमोदित करते हुए आदेश पारित करेगा।

(3) जहां आयोग उपांतरण के साथ संयोजन को अनुमोदित करता है, वहां संयोजन को अनुमोदित करने वाला आयोग का आदेश, संयोजन को प्रभावी करने के लिए अपेक्षित सभी कार्रवाईयों के लिए निबंधनों, शर्तों और समय-सीमा को विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) जहां संयोजन के पक्षकार अनुबंधित समय-सीमा के भीतर उनके द्वारा स्वीकृत उपांतरण को कारित करने में असफल रहते हैं वहां आयोग उपयुक्त निदेश जारी करेगा।

(5) सचिव, उपविनियम (1) या (2) या (3) या (4) के अधीन आयोग के निर्णय को, ऐसे निर्णय के सात दिन के भीतर संयोजन के पक्षकारों को संसूचित करेगा।

(6) अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) में निर्दिष्ट उपबंधों को सम्पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए आयोग, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना फाइल करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (7) के अनुसार आदेश पारित करने या निदेश जारी करने के लिए प्रयास करेगा।

(7) अधिनियम की धारा 57 और इन विनियमों के विनियम 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 31 के अधीन पारित आदेश को उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा ।

**29. संयोजनों के संबंध में प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण को अपील-**

अधिनियम की धारा 53ख में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या उद्यम या कोई व्यक्ति, जो किसी संयोजन से संबंधित किसी मामले की कार्यवाहियों का पक्षकार है और अधिनियम की धारा 53क के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी निदेश, निर्णय या आदेश के कारण व्यक्ति है तो वह प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण में अपील कर सकेगा ।

**30. गोपनीयता के लिए अनुरोध-**

(1) अन्वेषण के दौरान प्रस्तुत जानकारी या दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए किसी अनुरोध पर, समय-समय पर यथासंशोधित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में अधिकथित प्रक्रिया को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए सम्यक्तः विचार किया जाएगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन किसी अनुरोध में अन्य बातों के साथ, स्पष्ट रूप से कारणों, औचित्य और संयोजन के पक्षकारों के कारबाह के लिए विवक्षाओं का कथन होना चाहिए जिससे कि आयोग द्वारा इस मामले में निर्णय लिए जाने के समय सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार किया जा सके ।

**31. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना फाइल करना-**

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट सूचना निम्नानुसार लागू होगी :-

(क) अधिनियम की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट विलयनों या समामेलनों की बाबत, सूचना केवल 1 जून, 2011 को या उसके पश्चात् निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के संबंध में फाइल की जाएगी ; और

(ख) अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट अर्जनों या अधिनियम की धारा 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण के अर्जन के लिए सूचना केवल वहां फाइल की जाएगी, जहां आवश्यकर दस्तावेज (दस्तावृप्ति), को 1 जून, 2011 को या उसके पश्चात् निष्पादित किया जाता है ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के खंड (क) में निदेशक बोर्ड के अनुमोदन का प्रतिनिर्देश निदेशक बोर्ड के अंतिम निर्णय से है ।

**32. अभिभावी प्रभाव-**

इन विनियमों के उपबंधों का प्रमाव, अधिनियम के अधीन विरचित किन्हीं अन्य विनियमों में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी संयोजन से संबंधित सभी मामलों पर होगा ।

**33. निदेश जारी करने की शक्ति --**

अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आयोग समय-समय पर, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संयोजन के विनियमन के लिए साधारण या क्षेत्र विनिर्दिष्ट निदेश, मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण या परिपत्र जारी कर सकेगा ।

## 34. अन्य कानूनी प्राधिकारियों से सहयोग-

जहां आयोग ऐसा करना उचित समझता है, वह संयोजन के संबंध में अन्य कानूनी प्राधिकारियों से राय प्राप्त कर सकेगा।

## 35. कठिनाइयों का निवारण-

इन विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के विषय में, यदि कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे आयोग के समक्ष रखा जाएगा और उस पर आयोग का निर्णय अंतिम और आबद्धकर होगा।

## अनुसूची 1

## [विनियम 4 देखिए]

- (1) अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट शेयरों या मताधिकारों का ऐसा अर्जन, जो मात्र निवेश के रूप में है या जहां तक अर्जनकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित कुल शेयरों या मताधिकारों का संबंध है, कारबार के सामान्य अनुक्रम में कंपनी के कुल शेयरों या मताधिकारों के 15% से अधिक नहीं है, जिनमें से शेयरों या मताधिकारों का अर्जन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी दस्तावेज के, जिसके अंतर्गत शेयर धारकों का करार या संगम अनुच्छेद भी है, निष्पादन के अनुसरण में किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उस उद्यम के, जिसके शेयर या मताधिकारों का अर्जन किया जा रहा है, नियंत्रण का अर्जन नहीं हो रहा है।
- (2) अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट शेयरों या मताधिकारों का अर्जन, जहां अर्जनकर्ता के पास, ऐसे अर्जन से पूर्व उस उद्यम के, जिसके शेयरों या मताधिकारों का अर्जन किया जा रहा है, पचास प्रतिशत (50%) या अधिक शेयर अथवा मताधिकार हैं, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसे संव्यवहार के परिणामस्वरूप नियंत्रण संयुक्त से एकमात्र नियंत्रण में अंतरित हो जाता है।
- (3) अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट आस्तियों का अर्जन, जो आस्ति अर्जित करने वाले पक्षकार के कारबार क्रियाकलाप से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है या जिसका अर्जन मात्र निवेश के रूप में किया गया है या कारबार के सामान्य अनुक्रम में किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उस उद्यम के, जिसकी आस्तियों का अर्जन किया जा रहा है, नियंत्रण का अंतरण नहीं होता है, सिवाय उसके जहां अर्जित की जाने वाली आस्तियां किसी विशिष्ट अवस्थान में या उद्यम के किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के लिए सारबान् कारबार प्रचालनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या ऐसी आस्तियां एक पृथक् विधिक अस्तित्व के रूप में संगठित हैं अथवा नहीं।
- (4) कोई संशोधित या नवीकृत निविदा प्रस्ताव, जहां आयोग को पक्षकार द्वारा ऐसे संशोधित या नवीकृत प्रस्ताव से पूर्व प्रस्ताव करते हुए सूचना फाइल की गई है :

परंतु यह कि किसी परिवर्तन की संसूचना से संबंधित विनियम 16 का सम्यक् रूप से अनुपालन किया गया है।

- (5) कारबार के सामान्य अनुक्रम में व्यापार में स्टॉक, कच्ची सामग्री, भंडारों और पुर्जों का अर्जन।

- (6) शेयरों का कोई बोनस जारी करने या उनके स्टॉक के विखंडनों या उनके अंकित मूल्य के समेकन या राइट्स इश्यु में अभिदाय के अनुसरण में, उनकी पात्रता के अनुपात की सीमा तक, शेयरों या मताधिकारों का कोई अर्जन, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का अर्जन नहीं होता है ।
- (7) किसी व्यक्ति द्वारा, प्रतिभूति निमांकक या किसी स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्ट्रीकृत स्टॉक ब्रोकर के रूप में ग्राहकों की ओर से कार्रवाई करते हुए उसके कारबार के सामान्य अनुक्रम में और यथास्थिति, निमांकन या स्टॉक ब्रोकिंग की प्रक्रिया के दौरान शेयरों या मताधिकारों का कोई अर्जन ।
- (8) किसी एक व्यक्ति या उद्यम द्वारा एक समूह के भीतर किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम के नियंत्रण या शेयरों या मताधिकारों या आस्तियों का कोई अर्जन ।
- स्पष्टीकरण : इस प्रवर्ग में निर्दिष्ट 'समूह' का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 5 के स्पष्टीकरण (ख) में दिया गया है ।
- (9) कारबार के सामान्य अनुक्रम में चालू आस्तियों का कोई अर्जन ।
- स्पष्टीकरण : चालू आस्तियों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 में उसका है ।
- (10) अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट ऐसा कोई संयोजन, जो पूर्णतया भारत से बाहर हो रहा है और जिसका भारत के बाजारों में महत्वहीन स्थानीय संबंध और प्रभाव है ।

### अनुसूची 2

#### प्ररूप 1

[विनियम 5(2) देखिए]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचना फाइल करने का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण सं. : (भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग  
द्वारा भरा जाए)

--	--	--	--	--	--	--	--

#### भाग 1

#### (प्रत्येक द्वारा भरा जाए)

##### 1. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के संबंध में जानकारी :

- (क) संयोजन के पक्षकार (पक्षकारों) का विधिक नाम :
- (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि लागू हो) :
- (ग) संयोजन के पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम (सूचना पर हस्ताक्षर करने के हक के संबंध में दस्तावेजी सबूत संलग्न करें) :

- (घ) प्रधान कारबार का पता :
- (ङ) नगर : देश : पोस्टल/जिप कोड :
- (च) टेलीफोन नं. (देश/नगर/क्षेत्र के कोड सहित) :
- (छ) मोबाइल नं. (देश/नगर/क्षेत्र के कोड सहित) :
- (ज) फैक्स नं. (देश/नगर/क्षेत्र के कोड सहित) :
- (झ) ई-मेल का पता :
- (अ) वेबसाइट का पता :
- (ट) निगमन/सूचन की अधिकारिता :
- (ठ) संयोजन में पक्षकार की भूमिका :

2. फीस के संदाय का सबूत : जमा की गई फीस के बौरे, उसकी पद्धति और संदाय के सबूत सहित उपलब्ध कराएं।

3. भारत में अवस्थित ऐसे व्यष्टि के बौरे उपलब्ध कराएं (ऊपर 1 के प्ररूप में) जो इस सूचना और संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में अधिसूचित प्रत्येक पक्षकार की ओर से संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।

4. क्या यह विनियम 5 के उपविनियम (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) के अंतर्गत आता है ? यदि हां, तो कृपया उपदर्शित करें कि किसी प्रवर्ग के अधीन और किस प्रकार ? यदि यह उसके अंतर्गत नहीं आता है तो प्ररूप का भाग 2 भरें।

## भाग 2

(विनियम 5 के उपविनियम (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के संबंध में नहीं भरा जाएगा)

### 5. संयोजन का संक्षिप्त विवरण :

- 5.1 निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावित संयोजन का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराएं :
- (क) संयोजन के पक्षकारों के नाम ;
- (ख) संयोजन की किस्म, प्रकृति और प्रयोजन (जिसके अंतर्गत कारबार उद्देश्य और/या आर्थिक औचित्य भी है तथा उनको किस प्रकार प्राप्त किया जाना आशयित है) ;
- (ग) संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलाप का क्षेत्र ;
- (घ) संयोजन के पूरा होने के लिए संभावित समय-सीमा ;
- (ङ) वह (वे) सुसंगत बाजार, जिनसे संयोजन संबंधित है ;
- (च) संयोजन के पश्चात् कोई अनुप्रस्थ अंशछादन या अनुलंब व्यवस्थाएं (जिनके अंतर्गत लक्षित कंपनी और अर्जनकर्ता या समूह का कोई उद्यम भी है)।
- 5.2 ऊपर पैरा 5.1 के अधीन उपलब्ध कराई गई जानकारी का एक कृत्यकारी संक्षेप प्रस्तुत करें। इस संक्षेप का प्रारूपण इस प्रकार किया जाए जिससे कि इसमें कोई गोपनीय जानकारी या कारबार रहस्य अंतर्विष्ट न हो।

## 6. संयोजन के संबंध में आधारिक जानकारी

6.1 संयोजन के पक्षकारों के उत्पादों (विनिर्मित और/या विक्रीत) या सेवाओं के बारे में पृथक् रूप से ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

6.2 ऊपर 6.1 के प्रतिनिर्देश से यह बताए कि क्या संयोजन के पक्षकार एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन/उपबंध करते हैं? यदि हां, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

6.3 क्या संयोजन के पक्षकार समान सुसंगत बाजार में किन्हीं कारबार क्रियाकलापों में लगे हैं।

6.4 क्या संयोजन के किसी पक्षकार के पास, एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों के उत्पादन, वितरण या व्यापार अथवा एक जैसी/समान/प्रतिस्थापनीय सेवाओं के उपबंध में लगे किसी अन्य उद्यम (उद्यमों) पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है? यदि हां, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

6.5 कृपया कथन करें कि क्या संयोजन के पक्षकारों में से कोई ऐसे उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय और सेवा या व्यापार अथवा सेवाओं के उपबंध से संबंधित ऐसे किसी क्रियाकलाप में लगा है, जो ऐसी उत्पादन शृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर है, जिनमें कोई संयोजन का कोई अन्य पक्षकार अंतर्वलित है? यदि हां, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

6.6 भारत में उत्पादित/वितरित/प्रदत्त एक जैसी/समान/प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के विक्रय मूल्य (रूपयों में) और मात्रा (यूनिट में) के निवंधनानुसार बाजार के कुल आकार का प्राक्कलन उपलब्ध कराएं (प्राक्कलन के सुसंगत स्रोत और आधार को दर्शित करें)। साथ ही पांच सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों (बाजार शेयर के साथ), ग्राहकों और प्रदायकर्ताओं के नाम और संपर्क ब्यौरे भी उपलब्ध कराएं।

6.7 भारत में उत्पादित/वितरित/प्रदत्त एक जैसी/समान/प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के लिए संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के बाजार शेयर के प्राक्कलन के साथ विक्रय के मूल्य (रूपयों में) और मात्रा (यूनिट में) के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध कराएं। (किसी समूह की दशा में यह जानकारी समूह के सभी पक्षकारों के लिए दी जानी चाहिए)।

### सत्यापन

मैं, (नाम), जो संयोजन के (पहले/दूसरे) पक्षकार का (पदनाम) हूं उपरोक्त प्ररूप की अंतर्वर्स्तु के संबंध में यह सत्यापन करता हूं कि वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है और उसमें कोई सारवान् तथ्य छिपाया नहीं गया है।

(तारीख) को (स्थान) पर स्थापित।

(नाम)

(पदनाम)

(कंपनी)

(एक से अधिक आवेदकों की दशा में इसी प्ररूप का उपयोग करें।)

**महत्वपूर्ण :** संयोजन के पक्षकार (पक्षकारों) द्वारा इस पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके प्ररूप की अंतर्वर्स्तु का सत्यापन किया जाना चाहिए।

नगर :

राज्य :

देश :

मैं मेरे समक्ष शपथ पर प्रस्तुत किया गया।

तारीख :

हस्ताक्षर :

रजिस्ट्रीकरण सं. :

(नोटरी पब्लिक)

(मुद्रा)

**प्ररूप 2**

**[विनियम 5(2) देखिए]**

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को सूचना फाइल करने का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण सं. : (भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग

द्वारा भरा जाए)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**1. संयोजन का संक्षिप्त विवरण :**

- 1.1 संयोजन के औचित्य, उद्देश्य, रणनीति और संभावित प्रभाव के बारे में संक्षिप्त विवरण दें।
- 1.2 निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावित संयोजन का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराएं :
- (क) संयोजन के पक्षकार ; (ख) संयोजन की प्रकृति ; (ग) संयोजन के पक्षकारों के क्रियाकलाप का क्षेत्र ; (घ) वे बाजार (उनकी संरचना और प्रतिस्पर्धा की प्रास्थिति सहित), जिन पर संयोजन प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालने की संभावना है ; (ङ) कंपनी अधिनियम, 2002 की धारा 20 उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश से जानकारी ; और (च) संयोजन के विभिन्न प्रक्रमों के पूरा होने के लिए संभावित समय-सीमा।

**2. संयोजन का प्रयोजन :**

- 2.1 संयोजन के कारबार उद्देश्य क्या हैं तथा उनको किस प्रकार प्राप्त किया जाना आशयित है ?

- 2.2 संयोजन के आर्थिक औचित्य और अर्थव्यवस्था, बाजार (बाजारों) और उपभोक्ताओं पर उसके प्रभाव का वर्णन करें।

**3. संदाय के ब्यौरे :**

- 3.1 जमा की गई फीस की रकम (सबूत उपलब्ध कराएं)

रकम (रूपए में)

**3.2 संदाय की पद्धति :**

(मांग देय ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ईसीएस)

संख्या :

तारीख :

किस बैंक पर आहरित है :

बैंक पहचान और कोड संख्या :

**4. निजी व्यौरे :**

प्रथम आवेदक

संयोजन के पक्षकार का विधिक नाम :

विनियम 8 के निबंधनानुसार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम (विनियम 8 के निबंधनानुसार सूचना पर हस्ताक्षर करने की हकदारी के संबंध में दस्तावेजी सबूत) :

पुत्र/पुत्री :

प्रधान कारबाहर का पता :

नगर : देश : पोस्टल/जिप कोड :

टेलीफोन नं. देश कोड : नगर/क्षेत्र कोड :

मोबाइल नं. देश कोड : नगर/क्षेत्र कोड :

फैक्स नं. देश कोड : नगर/क्षेत्र कोड :

ई-मेल का पता :

वेबसाइट का पता :

(एक से अधिक आवेदकों की दशा में, अतिरिक्त आवेदकों के लिए इसी प्ररूप का उपयोग करें)

**5. दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित ऐसे व्यक्ति के व्यौरे उपलब्ध कराएं (पैरा 4 के प्ररूप में) जो इस सूचना और संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में अधिसूचित प्रत्येक पक्षकार की ओर से संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।**

**6. संयोजन के संबंध में व्यौरे**

**6.1** कृपया अधिनियम की धारा 5 के खंड और उपखंड, भाग को विनिर्दिष्ट करें, जिसके अंतर्गत संयोजन आता है।

**6.2** निम्नलिखित व्यौरों के साथ अधिसूचित किए जा रहे संयोजन की प्रकृति का वर्णन करें :

(क) अर्जनकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित किए जा रहे शेयरों या मताधिकारों की सही संख्या और उनका प्रतिशत, जिनके अंतर्गत ऐसे अर्जन से पूर्व उसके द्वारा धारित शेयरों या मताधिकारों की संख्या और प्रतिशत भी है। क्या शेयरों या मताधिकारों के ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अर्जन के परिणामस्वरूप उसके नियंत्रण का अर्जन होता है या उसके कारण किसी पश्चात्‌वर्ती तारीख को नियंत्रण का अर्जन होता है ? स्पष्ट करें।

(ख) अर्जित की जा रही आस्तियों के व्यौरे और मूल्य उपलब्ध कराएं। क्या आस्तियों के ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अर्जन के परिणामस्वरूप उसके नियंत्रण का अर्जन होता है या उसके कारण किसी पश्चात्‌वर्ती तारीख को नियंत्रण का अर्जन होता है ? स्पष्ट करें।

(ग) संघटक संव्यवहारों की ऐसी श्रृंखला के ब्यौरे उपलब्ध कराएं जिनके परिणामस्वरूप संयोजन हुआ है और ऐसे अनुक्रम (तारीख सहित) के ब्यौरे भी उपलब्ध कराएं जिनमें उनके होने की संभावना है ।

## 7. समर्थनकारी दस्तावेज

7.1 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) या अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अर्जन या नियंत्रण के अर्जन के संबंध में निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज में निर्दिष्ट संबद्ध उद्यम (उद्यमों) के निदेशक बोर्ड द्वारा विलयन या समामेलन से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन की तारीख (तारीखों) को प्रस्तुत करें । बोर्ड के ऐसे संकल्प या करार/अन्य दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करें ।

7.2 (क) संयोजन के पक्षकारों द्वारा संयोजन के प्रभाव के निर्धारण के प्रयोजन के लिए विचार में लिए गए विश्लेषण, रिपोर्ट, अध्ययनों, सर्वेक्षणों या किसी अन्य दस्तावेज की और/या (ख) संयोजन के पक्षकारों द्वारा तैयार या लागू किए गए किसी दस्तावेज या निदेशक बोर्ड द्वारा बाजार शेयरों, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धियों (वास्तविक या भावी), बाजारों, उत्पाद के विक्रय में वृद्धि या विस्तार के लिए संभावना या भौगोलिक बाजारों, संयोजन की संगतता के संबंध में संयोजन के मूल्यांकन या निर्धारण या विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए विचार में लिए गए किसी दस्तावेज के अंतिम पाठ की प्रतियां प्रस्तुत करें और (यदि ये स्वयं दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं हैं तो) उन्हें तैयार करने की तारीख तथा उन्हें तैयार करने वाले प्रत्येक व्यष्टि के नाम और उपाधि को भी उपदर्शित करें ।

7.3 संयोजन के सभी पक्षकारों के ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों की प्रतियां ।

7.4 निम्नलिखित के मामले में उनकी नवीनतम वार्षिक रिपोर्टों और लेखाओं की प्रतियां प्रस्तुत करें :

क) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (क) के अधीन किसी उद्यम के अर्जन की दशा में, अर्जन करने वाले उद्यम और अर्जित किए जाने वाले (नियंत्रण, शेयरों, मताधिकारों या आस्तियों के अर्जन द्वारा) उद्यम ; या

ख) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (ख) के अधीन किसी अर्जन की दशा में, नियंत्रण का अर्जन करने वाले उद्यम ; ऐसे उद्यम, जिसके नियंत्रण का अर्जन किया जा रहा है/ किया गया है ; और ऐसे उद्यम, जिसमें अर्जनकर्ता के पास पहले से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है और जो एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पाद (उत्पादों) / सेवा (सेवाओं) में लगा है ; या

ग) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (ग) के अधीन विलयन या समामेलन की दशा में ऐसे विलयन या समामेलन के सभी पक्षकार ।

7.5 संयोजन के पक्षकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 5% या अधिक के मताधिकारों या शेयरों को धारण करने वाले व्यक्तियों की सूची ।

7.6 पिछले एक वर्ष के दौरान सीईओ/सीएफओ/निदेशकों/भागीदारों/न्यासियों/प्रभारी व्यक्तियों/सहमति से कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची । संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के नवीनतम व्यौरेवार संगठनात्मक चार्ट को भी उपलब्ध कराएं ।

#### 8. संयोजन के आकार के बारे में जानकारी

8.1 संयोजन के पक्षकार किस प्रकार अधिनियम की धारा 5 और तद्धीन जारी की गई अधिसूचना में दी गई आस्तियों/आवर्त के निबंधनानुसार सूचना फाइल करने के लिए मानदंड को पूरा करते हैं ?

8.2 संयोजन के पक्षकारों के लिए तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और साथ ही चालू वर्ष के संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार निम्नलिखित व्यौरे पृथक् रूप से प्रस्तुत करें । यदि तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखाओं को अभी संपरीक्षित नहीं किया गया है तो अंतिम संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं और साथ पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्षों के लेखों के अनुसार निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें ।

उद्यम का नाम	वर्ष	आस्तियों का मूल्य		सकल आवर्त	
		भारत में (करोड़ रुपए में)	विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में)	भारत में (करोड़ रुपए में)	विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में)

8.3 संयोजन के सभी पक्षकारों के लिए पृथक् रूप से चालू वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें :

उद्यम का नाम	वर्ष	आस्तियों का मूल्य		सकल आवर्त	
		भारत में (करोड़ रुपए में)	विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में)	भारत में (करोड़ रुपए में)	विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में)

8.4 संयोजन के पक्षकारों के लिए तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार निम्नलिखित व्यौरे पृथक् रूप से प्रस्तुत करें । यदि तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखाओं को अभी संपरीक्षित नहीं किया गया है तो अंतिम संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं और साथ पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्षों के लेखों के अनुसार निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें ।

	आस्तियों का मूल्य	सकल आवर्त
प्रस्तावित संयोजन के लिए	सूचना की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए	चालू वित्तीय वर्ष के लिए, सूचना की तारीख तक पूर्ण हुए कलेंडर तीन मासों के लिए
भारत में (करोड़ रुपए में) (संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार) (वर्ष का उल्लेख करें)		
विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में) (संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार) (वर्ष का उल्लेख करें)		
भारत में (करोड़ रुपए में) (संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार) (वर्ष का उल्लेख करें)		
विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में) (संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार) (वर्ष का उल्लेख करें)		

8.5 किसी समूह की दशा में, जिसमें ऐसा अस्तित्व निहित होता, जिसके नियंत्रण, शेयरों, आस्तियों या मताधिकारों को अर्जित किया गया है या अर्जित किया जा रहा है या जिसमें विलयन के पश्चात् शेष बचा अस्तित्व या समामेलन के परिणामस्वरूप सृजित अस्तित्व, यथास्थिति, अर्जन/विलयन/समामेलन के पश्चात् निहित होता, निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें, अर्थात् :-

	आस्तियों का मूल्य	सकल आवर्त
समूह	सूचना की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए	सूचना की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए
भारत में (करोड़ रुपए में) (संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार)		
विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में) (संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार)		
भारत में (करोड़ रुपए में) (संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार)		
विश्व भर में (मिलियन अमरीकी डालर में) (संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार)		

### **9. स्वामित्व और नियंत्रण**

9.1 संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के लिए उस समूह के सभी उद्यमों की एक सूची प्रस्तुत करें और संयोजन के पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले सभी उद्यमों को, उनकी प्रकृति और नियंत्रण के साधनों सहित सूचीबद्ध करें।

9.2 क्या संयोजन का पक्षकार, एकल अथवा संयुक्त रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य अस्तित्व या समूह के कार्यों या प्रबंधन का नियंत्रण करता है? यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित प्रस्तुत करें :

- (क) नियंत्रण का प्रयोग करने वाले उद्यम (उद्यमों) और ऐसे उद्यम (उद्यमों) के, जिनके कार्यों का नियंत्रण किया जा रहा है, व्यौरे;
- (ख) वह रूप और रीति, जिसमें नियंत्रण का प्रयोग किया जा रहा है; और
- (ग) समान निवेशकों/भागीदारों/सहदायिकियों/न्यासियों के व्यौरे।

9.3 क्या संयोजन के पक्षकार और ऊपर 9.1 तथा 9.2 में निर्दिष्ट अन्य उद्यम या समूह, एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार में या एक जैसी/समान/प्रतिस्थापनीय सेवाओं के उपबंध में लगे हैं? यदि हां, तो निम्नलिखित व्यौरे उपलब्ध कराएं :

- (क) एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पाद या सेवाओं के नाम; और
- (ख) संयोजन से पूर्व और उसके पश्चात् ऊपर (क) में उल्लिखित प्रत्येक उत्पादों या सेवाओं का बाजार शेयर।

9.4 क्या संयोजन का कोई पक्षकार उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार या सेवाओं के उपबंध के संबंध में ऐसे क्रियाकलाप में लगा है, जो उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिसमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार अंतर्वलित है? यदि हां, तो व्यौरे उपलब्ध कराएं।

9.5. संयोजन के पूरा होने के पश्चात् अर्जित उद्यम (उद्यमों)/अर्जनकर्ता उद्यम (उद्यमों)/संयोजित उद्यम (उद्यमों) के स्वामित्व और नियंत्रण की आशयित संरचना के व्यौरे प्रस्तुत करें।

### **10. उत्पादों या सेवाओं के बारे में व्यौरे**

#### **10.1 निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें :**

- (क) संयोजन के पक्षकारों के उत्पादों (विनिर्मित और/या विक्रीत) या सेवाओं के पृथक् रूप से व्यौरे उपलब्ध कराएं।
- (ख) उत्पादों या सेवाओं की विशेषताएं और उनका अंत-प्रयोग (संबंधित उत्पादों या सेवाओं की चालू विक्रय सहायिकियों और संवर्धनात्मक सामग्री को संलग्न करें)।
- (ग) क्या संयोजन के पक्षकार एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन /प्रदाय करते हैं, विनिर्दिष्ट रूप से इस बात पर चर्चा करते हुए कि क्या संयोजन के पक्षकार एक ही सुसंगत बाजार में किसी कारबार क्रियाकलापों में लगे हैं?

- (घ) संयोजन के पक्षकारों के एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं और उनके प्रतियोगियों/प्रतिस्पर्धियों के एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के भी बाजार शेयर ।
- (ङ) घरेलू उपभोग के ब्यौरे (मात्रा और मूल्य, दोनों के निवृधनानुसारे), यदि कोई हों ।
- (च) अन्य विशिष्ट उत्पादकों/प्रदायकर्ताओं की विद्यमानता/उपलब्धतता ।
- (ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करें जो विशिष्ट उत्पादकों/प्रदायकर्ताओं की पहचान करते हैं । विशिष्ट उत्पादकों/प्रदायकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर चर्चा करें ।
- (छ) उत्पादों या सेवाओं का औद्योगिक वर्गीकरण (पर्याप्त रूप से यह दर्शित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करें कि संयोजन के पक्षकार किस प्रकार अपने उत्पादों का वर्गीकरण और विक्रय करते हैं) ।

10.2 क्या ऐसे कोई विनियम/विधियाँ/नियम/प्रक्रियाएं/शासकीय प्रेस टिप्पण/निदेश/अधिसूचनाएं, आदि हैं, जो संयोजन के पक्षकारों को एक जैसी या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन, प्रदाय, वितरण किए जाने को निर्बंधित करती हैं ? (ऐसे निर्बंधनों को उपलब्धित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करें)

10.3 क्या एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पाद या सेवाएं सरकार/विभागों/ प्राधिकारियों द्वारा विहित स्थानीय विनियोगों के अध्यधीन हैं ? यदि हां, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं । (ऐसे किन्हीं विनियोगों को, जिनका अनुपालन करना संयोजन के पक्षकारों के लिए आवश्यक है, वर्णित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज और सामग्री प्रस्तुत करें) ।

10.4 क्या एक जैसे या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन/प्रदाय के लिए प्रसुविधाएं स्थापित करने के लिए कोई अनुज्ञापन/रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाएं विद्यमान हैं ? क्या उनके उत्पादन/प्रदाय के लिए ऐसा कोई विशेष तकनीकी ज्ञान अपेक्षित है जो सुगमता से उपलब्ध नहीं है ?

10.5 ऐसी कोई सरकारी उपायन नीतियां विद्यमान हैं जो संयोजन के पक्षकारों या उनके प्रतिस्पर्धियों को विशेष व्यवस्था का प्रस्ताव करती हैं ? (पर्याप्त दस्तावेज/सामग्री संलग्न करें) ।

10.6 एक जैसी या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के लिए “वितरण प्रसुविधाएं” किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं ? बाजार में विद्यमान वितरण चैनलों और सेवा नेटवर्कों (उदाहरण के लिए अनुस्कृण और मरम्मत) के साथ अपने स्वयं के वितरण चैनलों और सेवा नेटवर्कों के ब्यौरे प्रस्तुत करें । (एक जैसी या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के लिए सभी वितरण प्रसुविधाओं के अवस्थान और वितरण प्रणाली से संबंधित किसी नीतिगत योजना या व्यवस्था को दर्शित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज या सामग्री प्रस्तुत करें) ।

10.7 क्या उत्पादों का परिवहन किया जा सकता है ? यदि हां, तो परिवहन के संभाव्य ढंग क्या हैं ? परिवहन की प्रति किलोमीटर यूनिट लागत क्या है ? परिवहन लागत का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है ? (एक जैसी या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के वितरण के लिए उपगत पोत परिवहन या परिवहन लागतों को दर्शित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करें) ।

10.8 प्रस्तावित संयोजन के संबंध में सुसंगत उत्पाद और सुसंगत भौगोलिक बाजार के विस्तार का कथन करें और उसे स्पष्ट करें। (आपकी राय में)। साथ ही ऐसे उत्पादों और/या सेवाओं की सूची उपलब्ध कराएं जो आपकी राय में ऊपर उल्लिखित सुसंगत बाजार के विस्तार के अंतर्गत नहीं आ सकेंगी किंतु जो प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पैदा कर सकती हैं।

10.9 निम्नलिखित प्रस्तुत करें :

(क) वह रीति, जिसमें संयोजन के पक्षकार उत्पाद और/या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनका मूल्य और सुसंगत बाजार में उनका विक्रय किया जाता है। साथ ही सुसंगत उत्पादों और/या संयोजन में पक्षकारों के पिछले दो वर्ष की मूल्य सूचियों, मूल्य नियतन योजनाओं, मूल्य नियतन नीतियों, मूल्य नियतन रणनीतियों, मूल्य नियतन विश्लेषण, मूल्य नियतन निर्णयों और साथ ही मूल्य नियतन के अनुमान से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करें।

(ख) प्रमुख प्रतिस्पर्धियों और आयात, यदि कोई हों, के संबंध में सुसंगत बाजार में पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पाद और/या सेवाओं के मूल्य के बारे (मूल्य सूचियों की प्रतियां विश्लेषण, यदि कोई हो, के साथ संलग्न करें)।

10.10 आपकी राय में न्यूनतम बहनीय मापमान (जिसका अर्थ न्यूनतम मात्रा में वह उत्पादन है, जिस पर औसत लागत सुसंगत उत्पाद या सेवाओं के लिए वर्तमान में निर्धारित मूल्य के समान हो जाता है), न्यूनतम और अधिकतम संयंत्र आकार संक्षमता उपयोग दर, उत्पादन की मात्रा और लागत में कमी करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी कारक क्या हैं? समर्थनकारी दस्तावेज के साथ बारे उपलब्ध कराएं।

11. बाजार संरचना के संबंध में जानकारी (मांग और प्रदाय संरचना, बाजार में प्रवेश और नवीनताएं)

11.1 भारत में उत्पादित/वितरित/प्रदत्त एक जैसी/समान/प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के विक्रय मूल्य (रूपयों में) और मात्रा (यूनिट में) के निबंधनानुसार बाजार के कुल आकार का प्राक्कलन उपलब्ध कराएं (प्राक्कलन के सुसंगत स्रोत और आधार को दर्शित करें)। साथ ही पांच सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों (बाजार शेयर के साथ), ग्राहकों और प्रदायकर्ताओं के नाम और संपर्क बारे भी उपलब्ध कराएं।

11.2 भारत में उत्पादित/वितरित/प्रदत्त एक जैसी/समान/प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के लिए संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के बाजार शेयर के प्राक्कलन के साथ विक्रय के मूल्य (रूपयों में) और मात्रा (यूनिट में) के संबंध में बारे उपलब्ध कराएं। (किसी समूह की दशा में यह जानकारी समूह के सभी पक्षकारों के लिए दी जानी चाहिए)।

11.3 आपकी राय में सुसंगत बाजार में आपके मुख्य प्रतिस्पर्धियों की एक सूची कारणों और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करें।

11.4 सुसंगत बाजार में न्यूनतम पांच प्रतिशत का शेयर रखने वाले सभी प्रतिस्पर्धियों (आयातकर्ताओं सहित) के बाजार शेयर के मूल्य (और जहां उपयुक्त हो मात्रा) का प्राक्कलन (आपकी राय में)।

11.5 सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा की प्रास्थिति का वर्णन करें, जो बाजार अध्ययनों, पूर्वानुमान, सर्वेक्षणों आदि (यदि कोई हों) द्वारा समर्थित हो और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी होंगे, किंतु जो उन तक ही सीमित नहीं होगा :

- (क) संयोजन के पक्षकारों और सुसंगत बाजार में अन्य मुख्य व्यक्तियों का परस्पर सामर्थ्य/कमजोरियां ;
- (ख) प्रदाय और मांग से संबंधित प्रस्थितियां ; और
- (ग) अन्य प्रतिस्पर्धियों से ग्राहकों को छीनने का प्रयास और ऐसे ग्राहक, जो अन्य प्रतिस्पर्धियों के पास चले गए ।

11.6 सुसंगत बाजार में संकेन्द्रण का स्तर क्या है ? यदि प्रस्तावित संयोजन प्रभावी हो जाता है तो संकेन्द्रण स्तर में किस प्रकार परिवर्तन होगा ? (संयोजन के प्रभावी होने से पूर्व और पश्चात् उद्यमों की संख्या उपलब्ध कराएं) । संकेन्द्रण स्तर के लिए संयोजन पश्च अनुक्रमणिका में परिवर्तन के साथ एचएचआई (हरफिन्डहॉल-हिर्शमैन इंडेक्स) का एक प्राक्कलन उपलब्ध कराएं । (एचएचआई की संगणना के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त बाजार शेयर और उस स्रोत को उपदर्शित करें जिससे उसको अभिप्राप्त किया गया है) ।

11.7 पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने उद्यम सुसंगत बाजार में प्रविष्ट हुए हैं या प्रवेश करने का प्रयास किया है ? उनके नाम, पते, टेलीफोन नं और ई-मेल पते उपलब्ध कराएं । क्या आगामी एक से दो दर्ष के दौरान सुसंगत बाजार में किसी बड़े आकार के उद्यम (उद्यमों) द्वारा प्रवेश किए जाने की संभावना है ? (समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज/सामग्री संलग्न करें) ।

11.8 पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने उद्यम सुसंगत बाजार से बाहर हुए हैं या बाहर जाने का प्रयास किया है । उनके नाम, पते, टेलीफोन नं और ई-मेल पते और बाजार से बाहर जाने का कारण उपलब्ध कराएं ।

11.9 क्या पिछले पांच वर्ष के दौरान संयोजन के पक्षकारों में से किसी ने सुसंगत बाजार में प्रवेश किया है, इस प्रवेश के दौरान आने वाली समस्याओं, यदि कोई हों, के बारे उनके विश्लेषण के साथ उपलब्ध कराएं ।

11.10 सुसंगत बाजार में प्रवेश को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करें जिनमें निम्नलिखित होंगे किंतु जो उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे :

- (क) महत्वपूर्ण वहनीय प्रतिस्पर्धा के समतुल्य मापमान पर प्रवेश की कुल लागत (अनुसंधान और विकास, उत्पादन, वितरण प्रणाली स्थापना, संवर्धन, विज्ञापन, सेवाएं और इसी प्रकार की अन्य बातें), ऐसे प्रतिस्पर्धी बाजार शेयर को उपदर्शित करते हुए ;
- (ख) आरंभिक निवेश का वह भाग, जो बाजार से बाहर आने पर स्थायी रूप से खो जाएगा ;
- (ग) प्रवेश के संबंध में कोई विधिक या विनियामक अपेक्षाएं, जैसे कि सरकारी प्राधिकार या किसी रूप में मानक स्थापन और साथ ही उत्पाद प्रमाणन प्रक्रियाओं या उत्कृष्टता के साबित अभिलेख की आवश्यकता के परिणामस्वरूप सामने आने वाली अपेक्षाएं ;

(घ) इन बाजारों में पेटेंटों, उत्पाद संबंधी ज्ञान और अन्य वौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की विद्यमानता द्वारा सृजित कोई निर्बंधन और ऐसे अधिकारों के अनुज्ञापन द्वारा सृजित कोई अन्य निर्बंधन। (प्रत्येक संयोजनकारी पक्षकार के लिए पृथक् रूप से जानकारी के ब्यौरे उपलब्ध कराए) ;

(ङ) ऐसे आईपीआर के ब्यौरे उपलब्ध कराएं, जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान संयोजन के पक्षकारों द्वारा विकसित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है। सुसंगत बाजार के प्रतिनिर्देश से ऐसे आईपीआर के ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो संयोजन के प्रत्येक पक्षकार द्वारा धारित हैं ;

(च) सुसंगत बाजार में उत्पादन में मापमान की अर्थव्यवस्था या उत्पादों या सेवाओं के वितरण का महत्व ; और

(छ) प्रदाय के स्रोत तक पहुंच, जैसे कि कच्ची सामग्री और आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता ।

11.11 पिछले तीन वर्षों के दौरान सुसंगत उत्पादों और सेवाओं के लिए आयातों के ब्यौरे (कुल मूल्य, मात्रा और स्रोत) और सुसंगत बाजार के कुल आकार के साथ इसका अनुपात उपलब्ध कराएं। साथ ही आगामी एक या दो वर्षों के लिए भावी आयातों के ब्यौरे भी उपलब्ध कराएं। सुसंगत बाजार में एक जैसी या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं की आयातित और घरेलू कीमत के बीच यूनिट विक्रय मूल्य में कोई अंतर, यदि कोई हो, उपलब्ध कराएं।

11.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान सुसंगत उत्पादों और सेवाओं के लिए निर्यातों के ब्यौरे (कुल मूल्य, मात्रा और स्रोत) और सुसंगत बाजार के कुल आकार के साथ इसका अनुपात उपलब्ध कराएं। सर्वाधिक निर्यात करने वाले पांच निर्यातकों के नाम और संपर्क ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

11.13 संयोजन के पक्षकारों के कुछ सबसे बड़े रवतंत्र प्रदायकर्ताओं की पहचान करें और उनके व्यष्टिक शेयरों या उन प्रदायकर्ताओं से किए गए क्रय (आपकी राय में सुसंगत उत्पादों के उत्पादन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री या मालों के) के ब्यौरे दें। उनके नामों, पतों और संपर्क ब्यौरों का उल्लेख करें।

11.14 कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या संयोजन के पक्षकारों में से या प्रतिरप्तियों में से किसी के पास 'पाइपलाइन उत्पाद या सेवाएं' (ऐसे उत्पाद या सेवाएं जिन्हें निकट भविष्य में बाजार में उतारे जाने की संभावना है) या उनके पास उत्पादन या विक्रय क्षमता में वृद्धि करने या उसे सीमित करने की कोई योजनाएं हैं? यदि हां, तो आगामी तीन से पांच वर्ष के दौरान संयोजन के पक्षकारों के संभावित विक्रयों और बाजारों शेयरों का प्राक्कलन उपलब्ध कराएं।

11.15 यदि संयोजन के पक्षकारों के पास एक जैसी या समान या प्रतिरथापनीय उत्पादों या सेवाओं के कुछ बड़े फ्रेता हैं, उनके नाम, पते और संपर्क ब्यौरों को, आपके विक्रय/प्रदाय में उनके व्यष्टिक शेयरों के साथ प्रस्तुत करें।

11.16 सुसंगत बाजार में मांग संरचना को स्पष्ट करें, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, और जो संयोजन के पक्षकारों द्वारा कारबार के सामान्य अनुक्रम में निर्णय लिए जाने के समय अवलंब लिए जाने वाले दस्तावेजों/आंकड़ों द्वारा समर्थित हों :

(क) विशेषता या गुणवत्ता के निबंधनानुसार उत्पाद विभिन्नता की भूमिका और वह सीमा जिस तक संयोजन के पक्षकारों के उत्पाद या सेवाएं निकट अनुकल्प हैं ; और

(ख) एक प्रदायकर्ता से दूसरे प्रदायकर्ता में परिवर्तन करते समय ग्राहकों के लिए परिवर्तन लागत (समय और व्यय के निबंधनों में) की भूमिका ।

11.17 क्या भारत के किसी भाग में उत्पादों/उपयोक्ता के मैनुअल आदि की बाबत भाषा संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए कोई बाध्यताएं हैं ? यदि हां, तो व्यौरे उपलब्ध कराएं । (एक जैसी या समान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों या सेवाओं के विक्रय या वितरण पर भाषा के किसी प्रभाव को दर्शित करने के लिए पर्यात दस्तावेज/सामग्री संलग्न करें) ।

11.18 सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी उद्यम की अनुसंधान और विकास क्षमताओं के महत्व को स्पष्ट करें । पिछले कुछ वर्षों के दौरान संयोजन के पक्षकारों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों, यदि कोई हों, की प्रकृति और विस्तार को स्पष्ट करें ।

11.19 संयोजन के प्रभावी होने के पश्चात् आशयित अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों और सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा की प्रकृति पर उनके संभाव्य प्रभाव का कथन करें ।

11.20 क्या संयोजन के किसी पक्षकार या सुसंगत बाजार में किसी अन्य उद्यम ने हाल ही में नई प्रौद्योगिकी या कारबार मॉडल या उपलब्ध सक्षमता के त्वरित उपयोग या किसी अन्य साधन द्वारा बाजार परिस्थितियों को सारवान् रूप से प्रभावित किया है ? यदि हां, तो विश्लेषण द्वारा समर्थित व्यौरे प्रदान करें ।

## 12. अनुपालन दस्तावेज और अन्य अधिकारिताओं में फाइल करना

12.1 क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान संयोजन के पक्षकारों के संबंध में किसी प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी/न्यायालय/अधिकरण/सरकार/विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्पर्धा से संबंधित किसी विवाद्यक पर कोई आदेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो विवाद्यक और प्राधिकरण के निर्देश को उपदर्शित करते हुए उक्त आदेश का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराएं ।

12.2 क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान सुसंगत प्राधिकारियों के समक्ष संयोजन के पक्षकारों को अंतवर्लित करते हुए कोई दिवालिया/परिसमापन आवेदन/कार्यवाहियां फाइल की गई है ? यदि हां, तो व्यौरे उपलब्ध कराएं ।

12.3 किसी उच्च न्यायालय/कंपनी विधि बोर्ड /भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारत में किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तावित संयोजन के संबंध में फाइल किए गए किसी आवेदन/अधिसूचना/संसूचना/जानकारी के ब्यौरे, उनकी प्रास्थिति और उस मामले में निर्णय, यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करें ।

12.4 क्या यह संयोजन भारत से भिन्न अन्य अधिकारिताओं में फाइल किए जाने संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन है ? यदि हां, तो अधिसूचित या अधिसूचित की जाने वाली अधिकारिताओं की सूची, उस अधिकारिता में पारित आदेश (आदेशों)/निर्णय (निर्णयों) की प्रमाणित प्रति (प्रतियों) के साथ प्रस्तुत करें ।

13. संयोजन के पक्षकारों को ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके संबंध में उनका यह विश्वास है कि वह प्रत्यावित संयोजन और अंतर्वलित बाजारों के निर्धारण के संबंध में आयोग की सहायता कर सकती है।

(उपरोक्त के समर्थन में दस्तावेज/रिपोर्ट/सामग्रियां, यदि कोई हों, संलग्न करें)

#### टिप्पणी :

(1) संयोजन के पक्षकार, उपरोक्त जानकारी, जिसके अंतर्गत समर्थनकारी दस्तावेज भी हैं, उपलब्ध कराने में यथाशक्य रूप से उन दस्तावेजों/आंकड़ों का अवलंब लेंगे, जिनका उपयोग सामान्य अनुक्रम में कारबार निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

(2) यदि अधिसूचना देने वाले पक्षकारों द्वारा किसी तृतीय पक्षकार जानकारी/प्राक्कलन का अवलंब लिया जा रहा है तब ऐसी जानकारी/प्राक्कलन के सुसंगत स्रोत को स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा।

(3) यदि यह अवधारण करने के लिए क्या संयोजन के कारण सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या पड़ने की संभावना है, आयोग को किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो वह संयोजन के पक्षकारों से ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) इस प्ररूप में आंकड़ों के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित लेखांकन मानकों, या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों या यूएस साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा।

(5) आस्तियों से कुल आस्तियां अभिप्रेत होंगी और उनके मूल्य की संगणना अधिनियम की धारा 5 के रपटीकरण (ग) के अनुसार की जाएगी।

(6) आवर्त की संगणना, अप्रत्यक्ष करों, यदि कोई हो, को अपवर्जित करते हुए अधिनियम की धारा 2(म) के अनुसार की जाएगी।

(7) भारतीय रूपए या अमरीकी डालर में किसी विदेशी विनिमय मुद्रा के संपरिवर्तन की दर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 6(2) में दिए गए मामले के प्रतिनिर्देश से संगणित तारीख से कोट की गई पिछले छह मास की औसत स्पॉट दर पर आधारित होगी।

(8) असंपरीक्षित आंकड़ों को बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उद्यम के प्रबंध निदेशक, निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उसके साथ उद्यम के लेखा परीक्षक का एक प्रमाण-पत्र लगा होगा।

#### सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रस्तुति को, इसके सभी अनुलग्नकों और संलग्नकों के साथ, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार और संकलित किया गया है।

यह सत्यापित किया जाता है कि इसके सभी अनुलग्नकों और संलग्नकों के साथ इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है और उसमें किसी भी सारवान् बात को छिपाया नहीं गया है।

तथापि, जहां कहीं अधिप्रमाणित स्रोत की अनुपस्थिति में विनिर्दिष्ट आंकड़े/जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां युक्तियुक्त प्राक्कलन प्रस्तुत किए गए हैं जो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार हैं।

#### प्रथम आवेदक

नाम	उपाधि
पुत्र/पुत्री	
हस्ताक्षर	तारीख स्थान

(एक से अधिक आवेदकों की दशा में इसी प्ररूप का उपयोग करें)

**महत्वपूर्ण :** सभी संयोजनकारी पक्षकारों को इसकी अंतर्वस्तु का, इस प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ और इस पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके सत्यापन करना चाहिए।

नगर :

राज्य :

देश :

मेरे समक्ष शपथ पर प्रस्तुत किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर :

मेरा कमीशन निम्नलिखित को समाप्त हो रहा है।

(नोटरी पब्लिक)

(मुद्रा)

## प्रूप 3

## [विनियम 6 देखिए]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन अर्जन के ब्यौरे  
फाइल करने का प्रूप

रजिस्ट्रीकरण सं. : (भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग

--	--	--	--	--	--	--	--	--

द्वारा भरा जाए)

1. अर्जन के ब्यौरे फाइल करने वाले पक्षकारों की विशिष्टियां :

अर्जन के ब्यौरे फाइल करने वाले पक्षकार (पक्षकारों) का विधिक नाम :

प्रधान कारबाह का पता (देश/नगर/क्षेत्र कोड सहित) :

टेलीफोन (देश/नगर/क्षेत्र कोड सहित) :

फैक्स (देश/नगर/क्षेत्र कोड सहित) :

ई-मेल पता :

वेबसाइट का पता :

(एक से अधिक आवेदकों की दशा में, अतिरिक्त आवेदकों के लिए इसी प्रूप का उपयोग करें)

2. अर्जन के ब्यौरे :

- (i) नियंत्रण; शेयरों (शेयर अभिदाय या वित्त पोषण प्रसुविधा सहित) मताधिकारों या आस्तियों के ऐसे अर्जन का वर्णन करें, जिन्हें ब्यौरे फाइल करने वाले पक्षकार ने प्राप्त किया है और उसमें अंतर्वलित पद्धतियों को भी वर्णित करें। ऐसे त्रह, वित्त पोषण सुविधा, निवेश आदि का वर्णन करें जिसे ब्यौरे फाइल करने वाले पक्षकार ने उस अस्तित्व को प्रदान किया है, जिसके शेयर, आस्तियां या नियंत्रण अर्जित किए जा रहे हैं या इस प्रकार अर्जन के लिए दायी हैं।
- (ii) साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि इस मामले में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के उपबंध किस प्रकार लागू हैं (दस्तावेज/रिपोर्ट आदि संलग्न करें)।

3. क्या अर्जनकर्ता/क्रेता कोई :

- (i) लोक वित्त संस्था ; या
- (ii) विदेशी संस्थागत निवेशक ; या
- (iii) उद्यम पूँजी निधि ; या

(iv) बैंक है ।

4. अर्जन की प्रकृति और उसके विस्तार का वर्णन करें और इस प्रभाव का औचित्य प्रदान करें कि इस अर्जन को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के उपबंध लगा होते हैं ।

5. अर्जनकर्ता के निदेशक बोर्ड के अनुमोदन या कशर के निष्पादन या अन्य दस्तावेज के ब्यौरे प्रस्तुत करें और साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्या ब्यौरे को विनिर्दिष्ट समय के भीतर फाइल किया गया है या अन्यथा फाइल करने में विलंब की सीमा और उसके कारण ।

6. क्या “अर्जन” किन्हीं विदेशी फाइल किए जाने संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन हैं और यदि हां तो अधिकारिताओं को सूचीबद्ध करें और ब्यौरे उपदर्शित करें ।

7. क्या फाइल किए जा रहे अर्जन के ब्यौरे मूल है या शुद्ध किए गए है, सूचना है और पश्चात् वर्ती की दशा में, मूल फाइल करने की तारीख उपदर्शित करें और उसकी एक प्रति संलग्न करें ।

8. यह उपदर्शित करें कि क्या :

(i) वह अस्तित्व जिसे ऋण दिया गया है या जिसके संबंध में निवेश किया गया है, और

(ii) ऐसा कोई पक्षकार, जिसे पहले ही ऋण दिया गया है/ निवेश पहले ही किया जा चुका है,

एक जैसे, समान या प्रतिस्थापनीय “मार्टी” या “सेवाओं” के उपबंध के उत्पादन/प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार में लगे हैं और यदि हां तो उनके ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

9. क्या नियंत्रण, शेयरों (शेयर अभिदाय या वित्तपोषण प्रसुविधा के साथ), मताधिकार या आस्तियों का अर्जन, जिसे ब्यौरे फाइल करने वाले पक्षकार ने प्राप्त किया है, अधिनियम की धारा 5(क) या (ख) में यथाउपबंधित अवसीमाओं को पूरा करता है ? यदि हां, तो वर्णन करें कि ऐसे अर्जन के ब्यौरे फाइल करने वाला पक्षकार या ऐसा समूह, जिसमें वह उद्यम, अर्जन के पश्चात् निहित होगा, जिसके शेयरों, आस्तियों, मताधिकारों या नियंत्रणों का अर्जन किया जा रहा है, उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें अर्जन किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर अधिनियम या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचनाओं द्वारा उपबंधित अवसीमाओं को पूरा करता है । यदि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे संपरीक्षित नहीं हैं तो अंतिम संपरीक्षित वार्षिक लेखों और साथ ही प्रत्येक पश्चात् वर्ती वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार ब्यौरे प्रस्तुत करें, जो संबंधित पक्षकारों के बोर्ड के प्राधिकार के अनुसार प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा सम्यक्त: प्रमाणित हो और जो उस वर्ष से, जिसमें अर्जन किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक उद्यमों के लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होंगे ।

10. ऐसे उत्पादों या सेवाओं का ‘सुसंगत उत्पाद बाजार’ क्या है, जिसका नियंत्रण, शेयर, आस्तियां या मताधिकार अर्जित किए गए हैं या किए जा रहे हैं ?

11. ऐसे उत्पादों या सेवाओं का ‘सुसंगत भौगोलिक बाजार’ क्या है, जिसका नियंत्रण, शेयर, आस्तियां या मताधिकार अर्जित किए गए हैं या किए जा रहे हैं ?

12. सुसंगत उत्पाद बाजार और सुसंगत भौगोलिक बाजार को ध्यान में रखते हुए अर्जन के लिए सुसंगत बाजार क्या है ?

(उस दशा में जहां सुसंगत बाजार को किसी अध्ययन के आधार पर तय किया गया है या वह किसी बाजार रिपोर्ट पर आधारित है, उस संगठन के और प्रस्तुत करें जिसने वह अध्ययन किया था और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह भी कथन करें कि क्या अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला संगठन संदर्भ पक्षकार है अथवा नहीं और क्या रिपोर्ट देने वाले संगठन को कोई अनुलान प्रदान किया गया था) ।

13. 'नियंत्रण'\* का अवधारण करने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें ।

अर्जन के पक्षकार	नियंत्रण का प्रयोग करने वाले अस्तित्व के बौरे	वह रूप और रीति जिसमें नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है	समान निदेशकों/भागीदारों/सहदायिकियों/न्यासियों के बौरे

\* टिप्पण : यथास्थिति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण की प्रकृति के बौरे प्रस्तुत करें ।

14. क्या आपकी राय में नियंत्रण शेरों (जिसके अंतर्गत शेर अभिदाय या वित्तपोषण प्रसुविधा भी है), मताधिकारों या आस्तियों के अर्जन के कारण भारत में बाजारों की प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है ?

15. ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो आपकी राय में सुसंगत हो, प्रस्तुत की जाए ।

#### सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रूप को, इसके सभी अनुलग्नकों और संलग्नकों के साथ, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार और संकलित किया गया है ।

यह सत्यापित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन अर्जन के बौरे, जो फाइल किए गए हैं, मेरे स्वर्वाक्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और उसमें किसी भी सारावान् बात को छिपाया नहीं गया है ।

तथापि, जहां कहीं अधिप्रमाणित स्रोत की अनुपस्थिति में विनिर्दिष्ट आंकड़े/जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां युक्तियुक्त प्रावक्तव्य प्रस्तुत किए गए हैं जो मेरे स्वर्वाक्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार हैं ।

नाम*	उपाधि
पुत्र/पुत्री	
हस्ताक्षर	तारीख <sup>1</sup> स्थान

\* लोक वित्तीय संस्था/विदेशी संस्थागत निवेशक/बैंक /उद्यम पूँजी निधि द्वारा सम्यक् और विधिक रूप से जारी प्राधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न करें ।

(एक से अधिक आदेदकों की दशा में इसी प्रूप का उपयोग करें)

..... नगर ..... राज्य में ..... देश में  
 तारीख ..... को  
 मेरे समक्ष शपथ पर प्रस्तुत किया गया ।  
 हस्ताक्षर .....  
 मेरा कमीशन तारीख ..... को समाप्त हो रहा है ।

(नोटरी पब्लिक)

(मुद्रा)

#### प्रस्तुप 4

[विनियम 22 देखिए]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन

..... संयोजन के ब्यौरे

1. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (“आयोग”) [\*] (नाम और पता) तथा [\*] (नाम और पता) के बीच संयोजन के संबंध में अन्वेषण कर रहा है ।
2. प्रस्तुप 2 के स्तंम 1 के अधीन संयोजन के पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए संयोजन के संक्षिप्त विवरण के अनुसार संयोजन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :
3. यह अवधारण करने के लिए कि क्या संयोजन के कारण भारत के सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, आयोग संयोजन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित या प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) से, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार इस प्रकाशन की तारीख से 15 कार्यदिवसों के भीतर, लिखित में सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, द हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, सातवां तल, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित टीका-टिप्पणियां/आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करता है ।
4. टीका-टिप्पणियाँ/आक्षेपों/सुझावों में निम्नलिखित का कथन होगा :  
 (क) आयोग को लिखने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम, पते और संपर्क के ब्यौरे ; और  
 (ख) इस बात के लिए समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ कि अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन उपबंधित कारकों/अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार व्यक्ति संयोजन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है/ प्रभावित होने की संभावना है ।

आयोग किन्हीं अपुष्ट आक्षेपों पर विचार नहीं करेगा ।

एस. एल. बंकर, सचिव

[विज्ञापन III/4/187-एम/11/असा.]

**THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2011

**The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011**

(No. 3 of 2011)

**F. No. 1-1/Combination Regulations/2011-12/CD/CC1**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (c) and (f) of sub-section (2) of section 64 read with sub-sections (2) and (5) of section 6 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.-**

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011.
- (2) They shall come into force on 1st day of June, 2011.

**2. Definitions.-**

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:-
  - (a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003) as amended from time to time;
  - (b) "Combination" means and includes combination as described in section 5 of the Act and any reference to combination in these regulations shall mean a proposed combination or the combined entity, if the combination has come into effect, as the case may be;
  - (c) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
  - (d) "Director General" means the Director General appointed under sub-section (1) of section 16 of the Act and includes any Additional, Joint, Deputy or Assistant Directors General appointed under the said section;
  - (e) "Enterprise" shall mean 'enterprise' as defined in clause (h) of section 2 of the Act;

- (f) "Parties to the combination" means persons or enterprises entering into the combination and shall include the combined entity if the combination has come into effect;
- (g) "Secretary" means the Secretary appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act and includes an officer of the Commission authorized by the Chairperson to function as Secretary.
- (2) For the purposes of these regulations, reference to 'days' shall mean calendar days unless otherwise specified in these regulations or the Act.
- (3) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act or the rules or regulations framed thereunder or in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

**3. Power to determine procedure in certain circumstances.-**

In a situation not provided for in these regulations or the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the Commission may determine the procedure, in specific matters, if so required.

**4. Categories of transactions not likely to have appreciable adverse effect on competition in India.-**

In view of the duty cast upon the Commission under section 18 and powers conferred under section 36 of the Act, and having regard to the mandate given to the Commission to, inter-alia, regulate combinations which have caused or are likely to cause appreciable adverse effect on competition in terms of sub-section (1) of section 6 of the Act, it is clarified that since the categories of combinations mentioned in Schedule I are ordinarily not likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India, notice under sub-section(2) of section 6 of the Act need not normally be filed.

**5. Form of notice for the proposed combination.-**

- (1) Any enterprise which proposes to enter into a combination shall give notice of such combination to the Commission in accordance with sub-section (2) of section 6 of the Act and these regulations.
- (2) The notice under sub-section(2) of section 6 of the Act, shall ordinarily be filed in Form I as specified in schedule II of these regulations, duly filled in, verified and accompanied by evidence of payment of requisite fee by the parties to the combination including the instances where –

- (a) none of the parties to the combination are engaged in the production, supply, distribution, storage, sale or trade of similar or identical or substitutable goods or provision of similar or identical or substitutable services, or the parties to combination are not engaged at different stages or levels of the production chain in different markets, in respect of production, supply, distribution, storage, sale or trade in goods or provision of services in which another party to the combination is engaged;
- (b) the parties to the combination are predominantly engaged in exports of goods or services from India and continue to be predominantly engaged in exports of goods or services from India after the combination takes effect:

Provided that the market share of the combined entity is less than fifteen percent (15%) in the relevant market in India.

Explanation: A party to the combination shall be deemed to be predominantly engaged in export of goods or services from India if at least seventy five percent (75%) of the turnover of the party to the combination is derived from exports out of India.

- (c) an acquisition or acquiring of control over an enterprise is by a liquidator, administrator or receiver appointed through court proceedings or through any scheme approved under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 or under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 or any other modification or re-enactment of the law;
- (d) an acquisition results from a gift or inheritance;
- (e) an acquisition is of a trustee company or arises from a change of trustees of a mutual fund established under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations 1996, as amended from time to time;
- (f) the parties to combination are engaged in production, supply, distribution, storage, sale or trade of similar or identical or substitutable goods or provision of similar or identical or substitutable service and the combined market share of the parties to the combination after such combination is less than fifteen percent (15%) in the relevant market;
- (g) the parties to the combination are engaged at different stages or levels of the production chain in different markets, in respect of production, supply, distribution, storage, sale or trade in goods or provision of services, and their individual or combined market share is less than twenty five percent (25%) in the relevant market.

- (3) Notwithstanding the provisions of sub-regulation (2), the parties to the combination may, at their option, annex additional supporting documents, if any, with Form I or file notice in Form II as specified in schedule II of these regulations.

- (4) Where in the course of inquiry, it is found by the Commission that it requires additional information, the Commission may direct the parties to the combination to file such additional information:

Provided that the time taken by the parties to the combination in filing such additional information shall be excluded from the period provided in sub-section (11) of section 31 of the Act and sub-regulation (1) of regulation 19 of these regulations.

- (5) Having due regard to the provisions of sub-regulations (2) and (4), in cases where the parties to the combination have filed notice in Form I and the Commission requires information in Form II to form its *prima facie* opinion whether the combination is likely to cause or has caused appreciable adverse effect on competition within the relevant market, it shall direct the parties to the combination to file notice in Form II as specified in schedule II to these regulations:

Provided that the fee already paid by the parties to the combination while filing notice in Form I shall be reduced from the fee payable for filing notice in Form II:

Provided further that the time taken by the parties to the combination in filing notice in Form II shall be excluded from the period provided in sub-section (11) of section 31 of the Act and sub-regulation (1) of regulation 19 of these regulations.

- (6) If the requisite details are not available for any of the columns in Form I or Form II, the date on which they may be submitted should be clearly indicated against those columns, by the parties to the combination:

Provided that the time taken by the parties to the combination to submit the requisite details shall be excluded from the period provided in sub-section (11) of section 31 of the Act and sub-regulation (1) of regulation 19 of these regulations.

- (7) The reference to the 'board of directors' in clause (a) of sub-section (2) of section 6 of the Act shall mean and include,—

- (a) the individual himself or herself including a sole proprietor of a proprietorship firm;
- (b) the karta in case of a Hindu Undivided Family (HUF);
- (c) the board of directors in case of a company registered under the Companies Act, 1956;

- (d) in case of a corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India or anybody corporate incorporated by or under the laws of a country outside India or a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies or a local authority, the person or the body so empowered by the legal instrument that created the said bodies;
- (e) in the case of a firm, the partner(s) so authorized;
- (f) in the case of any other artificial juridical person not falling within any of the preceding sub- clauses, by that person or by some other person competent to act on his behalf.
- (8) The reference to the 'other document' in clause (b) of sub-section (2) of section 6 of the Act shall mean any binding document, by whatever name called, conveying an agreement or decision to acquire control, shares, voting rights or assets :  
Provided that if the acquisition is without the consent of the enterprise being acquired, any document executed by the acquiring enterprise, by whatever name called, conveying a decision to acquire control, shares or voting rights shall be the 'other document':  
Provided further that where such a document has not been executed but the intention to acquire is communicated to the Central Government or State Government or a Statutory Authority, the date of such communication shall be deemed to be the date of execution of the other document for acquisition.
- 6. Filing of details of acquisition under sub-section (5) of section 6 of the Act.**
- (1) The details of acquisition by a public financial institution, foreign institutional investor, bank or venture capital fund, referred to in sub-section(5) of section 6 of the Act, shall be filed without any fee in Form III, as specified in Schedule II to these regulations.
- (2) The duly filled in and verified Form III, along with two copies and electronic version thereof, shall be delivered to the Commission at the address published on its official website .

**7. Belated notice**

Where a notice filed in Form I or Form II under sub-regulations (2) or (3) of regulation 5 of these regulations is received in the Commission beyond the time limit mentioned in sub-section (2) of section 6 of the Act, the Commission may, without prejudice to other provisions including that of section 43A of the Act, admit such notice.

## 8. Failure to file notice.-

- (1) Where the parties to a combination fail to file notice under sub-section (2) of section 6 of the Act, the Commission may under sub-section (1) of section 20 of the Act, upon its own knowledge or information relating to such combination, inquire into whether such a combination has caused or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India.
- (2) Where the Commission decides to commence an inquiry, referred to in sub-regulation (1), the Commission, without prejudice to any penalty which may be imposed or any prosecution which may be initiated under this Act, shall direct the parties to the combination to file notice in Form II, as specified in Schedule II to these regulations, duly filled in, verified and accompanied by evidence of requisite fee.
- (3) The notice, referred to in sub-regulation (2), shall be filed, within 30 days of receipt of communication from the Commission, by the parties to the combination.

## 9. Obligation to file the notice.-

- (1) In case of an acquisition or acquiring of control of enterprise(s), the acquirer shall file the notice in Form I or Form II, as the case may be, which shall be duly signed by the person(s) as specified under regulation 11 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.
- (2) In case the enterprise is being acquired without its consent, the acquirer shall furnish such information as is available to him, in Form I or Form II, as the case may be, relating to the enterprise being acquired:

Provided that all information required to be filed, relating to the enterprise being acquired shall be filed with the Commission within fifteen days from filing of the notice and in case the acquirer is not in a position to furnish all the required information in Form I or Form II, as the case may be, relating to the enterprise being acquired, the Commission may direct the enterprise being acquired to furnish such information as it deems fit and the time taken by the parties to the combination or the acquired enterprise, as the case may be, in furnishing the required information including document(s) shall be excluded from the period provided in sub-section (11) of section 31 of the Act and sub-regulation (1) of regulation 19 of these regulations.

- (3) In case of a merger or an amalgamation, parties to the combination shall jointly file the notice in Form I or Form II, as the case may be, duly signed by the person(s) as specified under regulation 11 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.
- (4) Where the ultimate intended effect of a business transaction is achieved by way of a series of steps or smaller individual transactions which are inter-connected or inter-dependent on each

other, one or more of which may amount to a combination, a single notice, covering all these transactions, may be filed by the parties to the combination.

**10. Obligation to pay the fee.-**

- (1) The person or enterprise filing notice under regulation 5 or regulation 8 of these regulations shall pay the fee as specified under regulation 11 of these regulations.
- (2) Where the notice is filed jointly, the fee shall be payable jointly or severally,

**11. Amount of Fee.-**

The amount of fee payable alongwith the notice in Form I or Form II, as the case may be, shall be as under:-

- (a) where the notice is filed in Form I, the fee payable shall be rupees fifty thousands (Rs. 50,000) only;
- (b) where the notice is filed in Form II, the fee payable shall be rupees ten lakhs (Rs. 1,000,000) only.

**12. Mode of payment.-**

The fee may be paid either by tendering demand draft or pay order or banker's cheque, payable in favour of the Competition Commission of India (Competition Fund), New Delhi or through Electronic Clearance Service (ECS) by direct remittance to the Competition Commission of India (Competition Fund), Account No. 1988002100187687 with "Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066".

**13. Procedure for filing notice.-**

- (1) The duly filled in and verified notice under regulation 5 or regulation 8 of these regulations along with two copies and an electronic version thereof shall be delivered to the Commission at the address published on its official website.
- (2) All responses or other documents required to be filed before the Commission consequent to the filing of the notice under regulation 5 or regulation 8 of the these regulations shall also be filed as per the procedure contained in sub-regulation (1).

Provided that for the purposes of this regulation, the Secretary may through public announcement inform the procedure for electronic filing, increase or decrease the number of copies or vary the format in which the electronic version is to be filed.

**14. Scrutiny of notice.-**

- (1) The notice filed under regulation 5 or regulation 8 of these regulations shall not be valid and complete unless it is in conformity with these regulations.
- (2) The Secretary shall issue an acknowledgement of the receipt of notice.
- (3) Where the information or document(s) contained in the notice under regulation 5 or regulation 8 of these regulations has any defect(s) or is incomplete in any respect, the parties to the combination shall be asked to remove such defect(s) or furnish the required information including document(s).
- (4) The Secretary shall place the proof of service of communication as referred to in sub-regulation (3) to the parties to the combination on record.
- (5) The parties shall comply with the directions as referred to in sub-regulation (3) within the time specified by the Commission and in the case of the notice filed under regulation 5 the time taken by the parties in removing such defects or furnishing the required information including document(s) shall be excluded from the period provided in sub-section (11) of section 31 of the Act and sub-regulation (1) of regulation 19 of these regulations
- (6) In case the parties fail to remove the defects or fail to furnish the required information including documents(s), within the time specified, the notice filed under regulation 5 or regulation 8 of these regulations shall not be treated as a valid notice.

**15. Computation of time limit.-**

Subject to the provisions of these regulations, the time period under sub-section (11) of section 31 of the Act shall commence from the date of receipt of notice, in writing, filed under regulation 5 of these regulations.

**16. Intimation of any change. —**

- (1) The parties to the combination having filed a notice under regulation 5 or regulation 8 of these regulations, shall inform the Commission of any change in the information provided in the notice to the Commission at the earliest during the continuation of the proceedings under the Act.
- (2) The Secretary shall place the information relating to any change in the notice before the Commission not later than the third working day of its receipt in the Commission.
- (3) The Commission shall assess the significance of the information relating to that change and, if satisfied, take on record the information received.
- (4) Where the Commission is of the view that the change is likely to affect the factors for the determination of the appreciable adverse effect on competition significantly, it may, after giving

an opportunity of being heard and after recording reasons, treat the notice already filed as not valid.

- (5) Where the Commission has held a notice to be not valid under sub-regulation (4), the Secretary shall convey the decision of the Commission to the parties to the combination within seven days of the decision of the Commission,

Provided that no additional fee shall be payable if a notice is filed again by the parties to the combination for the same transaction within a period of thirty days from the date of communication of the decision of the Commission.

**17. Termination of proceedings. —**

The proceedings under this Act relating to the combinations shall be terminated upon,-

- (a) receiving an intimation from the person(s) or enterprise(s) who filed the notice to the effect that the proposed combination will not take effect;
- (b) passing of an order by the Commission under section 31 of the Act.

**18. Mode of service of notice(s), etc.-**

Save as otherwise provided in the Act or in these regulations, the service of any notice excluding the notice under sub-section (2) of section 6 of the Act, or intimation to any person or enterprise under these regulations shall be effected in the manner as provided in regulation 22 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009 or by electronic transmission as considered appropriate by the Commission.

**19. Prima facie opinion on the combination. —**

- (1) The Commission shall form its prima facie opinion under sub-section (1) of section 29 of the Act, on the notice filed in Form I or Form II, as the case may be, as to whether the combination is likely to cause or has caused an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India, within thirty days of receipt of the said notice.
- (2) For the purpose of forming its prima facie opinion under sub-section (1) of section 29 of the Act, the Commission may, if considered necessary, require the parties to the combination to file additional information or accept modification, if offered by the parties to the combination before the Commission has formed prima facie opinion under sub-regulation (1), as deemed fit by it:

Provided that the time taken by the parties to the combination, in furnishing the additional information or for offering modification shall be excluded from the period provided in sub-regulation (1) of this regulation and sub-section (11) of section 31 of the Act. .

Provided further that in such a case where the modification is offered by the parties to the combination before the Commission has formed the *prima facie* opinion under sub-regulation (1), the additional time, not exceeding fifteen days, needed for evaluation of the offered modification, shall be excluded from the period provided in sub-regulation (1) of this regulation and sub-section (11) of section 31 of the Act.

- (3) Where the Commission deems it necessary, it may call for information from any other enterprise while inquiring as to whether a combination has caused or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India.

**20. Calling for a report from the Director General.-**

- (1) After receipt of the response of the notice to show cause from the parties to the combination under sub-section (1) of section 29 of the Act, the Commission may decide to call for a report from the Director General under sub-section (1A) of section 29 of the Act within the time as specified by the Commission.
  - (2) The Secretary shall convey the direction of the Commission under sub-regulation (1) to the Director General, along with copy of the notice filed by the parties to the combination with all other documents, materials, affidavits, statements, which have been filed or are otherwise available with the said notice, the notice to show cause to the parties to the combination and response of the parties to the same.

**21. Report by the Director General.-**

- (1) The Director General shall include in his report the basis of having reached the conclusions therein together with all evidences or documents or statements collected during the investigation and analysis thereof;
  - (2) Two copies of the report of the Director General duly signed on each page by the Director General, or his authorized officer, along with an electronic version in document format, shall be forwarded to the Secretary within the time specified by the Commission;

Provided that the Secretary may increase or decrease the number of copies of the report and may permit electronic transmission of the same.

**22. Publication of the details of the combination.-**

- (1) Where the Commission under sub- section(2) of section 29 of the Act is of the *prima facie* opinion that the combination has caused or is likely to cause appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India, the Secretary shall, within four working days of such decision convey the direction of the Commission to the parties to the combination, to publish the details of the combination within ten working days of the date of such direction:
- (2) The details of combination shall be published by the parties in Form IV, as specified in Schedule II to these regulations.
- (3) The parties shall submit the details of combination to be published under sub-regulation (2) to the Commission before its publication and the Commission may host the same on its official website
- (4) The details of the combination to be published under sub-regulation (2) shall, also be hosted by the parties on the websites of their respective enterprises not later than the time specified in sub-regulation(1).
- (5) The parties shall publish the details of the combination under sub-regulation (2), not later than the time specified in sub-regulation (1), in all India editions of four leading daily newspapers including at least two business newspapers.

**23. Proof of publication.-**

The parties to the combination shall submit copies of publication, referred to in regulation 22 , to the Secretary, not later than the fifteenth day of the direction of the Commission for publication of the details of the combination.

**24. Appearance of the parties before the Commission.-**

Where the Commission deems it necessary to give an opportunity of being heard to the parties to the combination before deciding to deal with the case in accordance with the provisions contained in section 31 of the Act, the Secretary shall convey its directions to the said parties, to appear before it by giving a notice of such period as directed by the Commission.

**25. Modification to the proposed combination..**

- (1) Where the Commission is of the opinion that combination has or is likely to have appreciable adverse effect on competition but such adverse effect can be eliminated by suitable modification to such combination, it may propose appropriate modification to the combination to the parties to such combination.

- (2) Where the parties to the combination have accepted the modification proposed by the Commission under sub-section (3) of the section 31 of the Act or the Commission agrees with the amendment to the proposed modification by the parties and approves the combination under sub-section (7) of section 31 of the Act or the parties, in terms of the provisions of sub-section (8) of section 31 of the Act, accept the modification proposed by the Commission under sub-section (3) of section 31 of the Act, the parties to the combination shall carry out such modification as per the terms and conditions and within the period as may be specified by the Commission and submit an affidavit to that effect.
- (3) Where the parties accept the modification proposed by the Commission under sub-section (3) of section 31 of the Act or the Commission agrees with the amendment submitted by the parties under sub-section (6) of section 31 of the Act, it shall by order, approve the combination.
- (4) If the parties to the combination fail to accept the modification proposed by the Commission within the time referred to in sub-section (6) of section 31 of the Act or within a further period referred to in sub-section (8) of section 31 of the Act, the combination shall be deemed to have an appreciable adverse effect on competition and be dealt with in accordance with the provisions of the Act.

**26. Compliance by the parties for carrying out modification.-**

- (1) The modification referred to in regulation 25 of these regulations shall be carried out by the parties to the combination within the period as may be specified by the Commission.
- (2) The parties to the combination shall, upon completion of modification, file a compliance report for the actions required for giving effect to the combination before the Secretary within seven days of such completion.
- (3) In case the parties to the combination fail to file the compliance report under sub-regulation (2), the Secretary shall place the matter of such non-compliance before the Commission for appropriate directions.

**27. Appointment of independent agencies to oversee modification.-**

- (1) Where the Commission is of the opinion that the modification proposed by it and accepted by the parties to the combination needs supervision, it may appoint agencies, to oversee the modification, on such terms and conditions as may be decided by the Commission.
- (2) The agencies appointed under sub-regulation (1) shall be independent of the parties to the combination having no conflicts of interest. Such independent agencies referred to in this

regulation may include an accounting firm, management consultancy, law firm, any other professional organization, or part thereof, or independent practitioners of repute.

- (3) The agencies appointed under sub-regulation (1) shall carry out the responsibilities as specified by the Commission from time to time.
- (4) The agencies appointed under sub-regulation (1) shall submit a report to the Commission upon completion of each of the actions required for carrying out the modification.
- (5) The payment to the agencies appointed under sub-regulation (1) shall be made by the parties to the combination by depositing it with the Commission or as may be directed by the Commission.

**28. Orders of the Commission. –**

- (1) Where the Commission is of the opinion that the combination has, or is likely to have, an appreciable adverse effect on competition in the relevant market in India, it shall pass an order under sub-section (2) of section 31 of the Act that the combination shall not take effect.
- (2) Where the Commission is of the opinion that the combination does not or is not likely to have an appreciable adverse effect on competition, it shall pass an order under sub-section (1) of section 31 of the Act, approving the combination.
- (3) Where the Commission approves the combination with modification, the order of the Commission approving the combination shall specify the terms, conditions and the time-frame for all the actions required for giving effect to the combination.
- (4) Where the parties to the combination fail to carry out the modification accepted by them within the stipulated time limit, the Commission shall issue appropriate directions.
- (5) The Secretary shall communicate to the parties to the combination, the decision of the Commission under sub-regulation (1) or (2) or (3) or (4) within seven days of such decision.
- (6) Having due regard to the provisions contained in sub-section (11) of section 31 of the Act, the Commission shall endeavour to pass an order or issue direction in accordance with sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (7) of section 31 of the Act within one hundred and eighty days of filing of the notice under sub-section (2) of section 6 of the Act.
- (7) Subject to the provisions of section 57 of the Act, and regulation 30 of these regulations, the orders passed by the Commission under section 31 of the Act shall be published on its website.

**29. Appeal to Competition Appellate Tribunal on combinations.-**

Subject to the provisions contained in section 53B of the Act, the Central Government or the State Government or a local authority or enterprise or any person, who is party to proceedings on matters

relating to a combination and is aggrieved by any direction, decision or order referred to in clause (a) of section 53A of the Act may prefer an appeal to the Competition Appellate Tribunal.

**30. Request for confidentiality.-**

- (1) Any request for confidentiality of information or documents submitted during the investigation shall be duly considered having due regard to the procedure laid down in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, as amended from time to time.
- (2) The request under sub-regulation (1) may, inter-alia, clearly state the reasons, justification and implications for the business of the parties to the combination so that all relevant factors may be considered by the Commission while taking decision in the matter.

**31. Filing of notice under sub-section (2) of section 6 of the Act.-**

- The notice referred to in sub-section (2) of section 6 of the Act would be applicable as follows:
- (a) for mergers or amalgamations referred to in clause (c) of section 5 of the Act, notice to be filed only in regard to proposals approved by the board of directors on or after the 1<sup>st</sup> day of June, 2011; and
  - (b) for acquisitions referred to in clause (a) of section 5 of the Act or acquiring of control referred to in clause (b) of section 5 of the Act, notice need to be filed only, where binding document(s) is executed, on or after the 1<sup>st</sup> day of June, 2011

**Explanation-** Approval of board of directors under clause (a) of this regulation refers to the final decision of the board of directors.

**32. Overriding effect.-**

The provisions of these regulations shall have effect in all matters relating to combinations notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other regulations framed under the Act.

**33. Power to issue directions.-**

Having regard to the provisions of the Act, the Commission may, from time to time, in discharge of its duties, issue general or sector specific directions, guidelines, clarifications or circulars for regulation of combinations.

**34. Cooperation with other agencies or statutory authorities.-**

Where the Commission deems fit, it may seek opinion of any other agency or statutory authority in relation to a combination.

**35. Removal of difficulty.-**

In the matter of implementation of the provisions of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the same shall be placed before the Commission and the decision of the Commission thereon shall be final and binding.

**SCHEDULE I**

[See regulation 4]

- (1) An acquisition of shares or voting rights, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of section 5 of the Act, solely as an investment or in the ordinary course of business in so far as the total shares or voting rights held by the acquirer directly or indirectly, do not exceed fifteen percent (15%) of the total shares or voting rights of the company, of which shares or voting rights are being acquired, directly or indirectly or in accordance with the execution of any document including a share holders' agreement or articles of association, not leading to acquisition of control of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired.
- (2) An acquisition of shares or voting rights, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of section 5 of the Act, where the acquirer, prior to acquisition, has fifty percent (50%) or more shares or voting rights in the enterprise whose shares or voting rights are being acquired, except in the cases where the transaction results in transfer from joint control to sole control.
- (3) An acquisition of assets, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of section 5 of the Act, not directly related to the business activity of the party acquiring the asset or made solely as an investment or in the ordinary course of business, not leading to control of the enterprise whose assets are being acquired except where the assets being acquired represent substantial business operations in a particular location or for a particular product or service of the enterprise, of which assets are being acquired, irrespective of whether such assets are organized as a separate legal entity or not.
- (4) An amended or renewed tender offer where a notice to the Commission has been filed by the party making the offer, prior to such amendment or renewal of the offer:

Provided that the compliance with regulation 16 relating to intimation of any change is duly made.
- (5) An acquisition of stock—in-trade, raw materials, stores and spares in the ordinary course of business
- (6) An acquisition of shares or voting rights pursuant to a bonus issue or stock splits or consolidation of face value of shares or subscription to rights issue to the extent of their entitled proportion, not leading to acquisition of control.
- (7) Any acquisition of shares or voting rights by a person acting as a securities underwriter or a registered stock broker of a stock exchange on behalf of its clients, in the ordinary course of its business and in the process of underwriting or stock broking, as the case may be.

- (8) An acquisition of control or shares or voting rights or assets by one person or enterprise of another person or enterprise within the same group ;  
 Explanation: The 'group' referred to in this category shall have the same meaning as given in explanation (b) to section 5 of the Act.
- (9) An acquisition of current assets in the ordinary course of business;  
 Explanation: 'Current Assets' shall have the same meaning as attributed to them in schedule VI of the Companies Act, 1956.
- (10) A combination referred to in section 5 of the Act taking place entirely outside India with insignificant local nexus and effect on markets in India.

## SCHEDULE II

### FORM I

**{See regulation 5 and regulation 8}**

Registration No: (to be assigned by the

Competition Commission of India)

#### Part I

(To be filled in by everyone)

**1. Information about each of the parties to the combination:**

- (a) Legal Name of Party(s) to the combination:
- (b) Registration number (if applicable):
- (c) Name of the person signing on behalf of the party to the combination (enclose documentary proof of eligibility for signing the notice):
- (d) Principal business address:
- (e) City: Country: Postal/Zip Code:
- (f) Telephone No (including Country/ City/Area Code):
- (g) Mobile No (including Country/City/Area Code):
- (h) Fax No ((including Country/City/Area Code):
- (i) E-mail Address:
- (j) Website Address:
- (k) Jurisdiction of Incorporation/Formations:
- (l) Role of the party in the combination:

**2. Proof of payment of fee:**

- Provide details of fee deposited along with mode and the proof of payment.
3. Provide details (in the format in 1. above) of an individual located in India who is authorized to receive communications on behalf of each of the notifying party(s) regarding this notice and related proceedings.
4. Whether covered in (a),(b),(c),(d) or (e) of sub-regulation (2) of regulation 5? If yes, please indicate under which category and how? If not covered, please proceed to fill up Part II of the Form.

**Part II**

**(Not to be filled in respect of categories referred to in clauses (a),(b), (c),(d) or (e) of sub-regulation (2) of regulation 5 )**

**5. Summary of the combination:**

- 5.1. Provide a summary of the proposed combination specifying:
- (a) Name of the parties to the combination;
  - (b) the type, nature and purpose (including business objective and/or economic rationale and how are they intended to be achieved) of the combination;
  - (c) the area of activity of the parties to the combination;
  - (d) expected timeframe for completion of the combination;
  - (e) the relevant market(s) to which the combination relates and
  - (f) any horizontal overlap or vertical arrangements post combination (including between target company and acquirer or any enterprise of the group).

- 5.2. Provide an executive summary of the information provided under paragraph 5.1 above. The summary may be drafted so that it contains no confidential information or business secrets.

**6. Basic information on combination:**

- 6.1. Provide separately the products (manufactured and/or sold) or services of the parties to combination?
- 6.2. In reference to 6.1 above, do the parties to combination produce/provide similar or identical or substitutable products or services? If yes, provide details?
- 6.3. Whether the parties to combination are engaged in any business activities in the same relevant market? If yes, provide details.
- 6.4. Do any of the parties to combination have direct or indirect control over another enterprise(s) engaged in production, distribution or trading of a similar or identical or substitutable products or provision of a similar/identical/substitutable services? If yes, provide details.
- 6.5. State whether any of the parties to the combination is engaged in any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of production chain in which any other party to the combination is involved. If yes, provide details.

- 6.6 Provide an estimate indicating the relevant source and basis of estimate, of the total size of the market in terms of value of sales (in rupees) and volume (units) of identical/substitutes/similar products or services produced/distributed/supplied in India. Also provide name and contact details of five largest competitors (along with market shares), customers and suppliers, if available.
- 6.7 Provide details with regard to sales in value (in rupees) and volume (units) along with an estimate of the market shares of each of the parties to the combination for identical/substitutes/similar products or services produced/distributed/supplied in India. (In case a group, same information should be given for all parties of the group)

**VERIFICATION**

I, [NAME], [DESIGNATION], of the [FIRST/SECOND] party(s) to the combination, do hereby verify that the contents of the above Form are true and correct to the best of my knowledge and that nothing material has been concealed there from.

VERIFIED AT [PLACE] ON THIS THE [DATE].

[NAME]

[DESIGNATION]

[COMPANY]

(In case there are more than one applicants use the same format).

**IMPORTANT: THE PARTY(S) TO COMBINATION MUST VERIFY THE CONTENTS OF THE FORM BY SIGNING ON THIS PAGE.**

Subscribed and sworn to before me at the

**City:**

**State:**

**Country:**

**Date:**

**Signature:**

**Registration Number:**

(Notary public)

**[SEAL]**

## FORM II

{See Regulation 5(2)}

## FORM OF FILING NOTICE WITH THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA UNDER SUB -SECTION (2) OF SECTION 6 OF THE COMPETITION ACT, 2002

Registration No. (To be assigned by the Competition Commission of India)

**1. Summary of combination**

- 1.1 Give a brief statement about rationale, objectives, strategy and the likely impact of the combination.
- 1.2 Provide an executive summary of the proposed combination specifying: (a) the parties to the combination; (b) the nature of the combination; (c) the areas of activities of the parties to the combination; (d) the market(s) (including its structure and state of competition) in which the combination will have or is likely to have an impact; (e) information with reference to sub-section (4) of Section 20 of the Competition Act, 2002; (f) expected timeframe for completion of various stages of the Combination.

**2. Purpose of the combination**

- 2.1 What are the business objectives of the combination and how are these intended to be achieved?
- 2.2 Describe the economic rationale of the combination and its impact on the economy, market(s) and consumers.

**3. Details of payment**

- 3.1 Amount of fee deposited (provide proof)  
Amount (in Rs.):

- 3.2 Mode of payment:  
(Demand Draft/Banker's Cheque/ECS)  
Number:  
Date:  
Drawn on:  
Bank Identification and Code No.:

**4. Personal Details**First applicant

Legal name of combining party:

Name of the person signing in terms of regulation 8 (enclose documentary proof of eligibility for signing the notice, in terms of regulation 8):

Son/Daughter of:

Principal Business address :

City:  Country :  Postal/Zip code : Telephone no.:  Country code:  City/Area code: Mobile no.: Fax no.:  Country code:  City/Area code: E-mail address: Website address: 

(in case there are more applicants, use the same format for additional applicants)

5. Provide details (in the format in paragraph 4) of an individual located in India, who is authorized to receive communications on behalf of each of the notifying party(s) regarding this notice and related proceedings.

6. **Details about the combination**

- 6.1 Please specify the part, sub-clause and clause of section 5 of the Act under which the combination falls.
- 6.2 Describe the nature of the combination being notified with the following details:
- (a) State the exact number of shares or voting rights and percentage of shares or voting rights being acquired, directly or indirectly, by the acquirer including number of shares or voting rights and their percentage held prior to such acquisition. Whether such acquisition of shares or voting rights, directly or indirectly, leads to control or may lead to control at a later date? Explain.
  - (b) Provide details and value of assets being acquired. Whether such acquisition of assets, directly or indirectly, leads to control or may lead to control at a later date? Explain.
  - (c) Provide details of series of constituent transactions leading to the combination and the sequence {including date(s)} in which they are likely to occur.

7. **Supporting documents**

- 7.1 Furnish date(s) of approval of the proposal relating to merger or amalgamation by the board of directors of the enterprise(s) concerned referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 6 of the Act and/or other document executed in relation to the acquisition or acquiring of control referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 6 of the Act. Attach copies of such board resolution or the agreement/other document.
- 7.2 Furnish copies of (a) analysis, reports, studies or surveys or any other document taken into account for the purpose of assessing the impact of the combination by the parties to the combination and/or (b) final version of any document(s) prepared or commissioned by the parties to the combination or considered by the board of directors, for the purposes of evaluating or assessing or analyzing the combination with respect to market shares, competition, competitors (actual or potential), markets, potential for sales growth or expansion of products or geographic markets, rationale of the combination and indicate (if not contained in the document itself) the date of preparation, and the name and title of each individual who prepared such document(s).
- 7.3 Copies of memorandum and articles of association of all the parties to the combination.
- 7.4 Furnish copies of the most recent annual reports and accounts of:
- a) in case of an acquisition of an enterprise(s) under sub-section (a) of Section 5 of the Act, the acquiring enterprise(s) and the enterprise(s) being acquired (by way of acquisition of control, shares, voting rights or assets); or
  - b) in case of an acquisition under sub-section (b) of Section 5 of the Act, the enterprise acquiring control; enterprise whose control is being/has been acquired; and the enterprise in which the acquirer already has direct or indirect control which is engaged in similar or identical or substitutable product(s)/service(s); or

- c) in case of merger or amalgamation under sub-section (c) of Section 5 of the Act, all the parties to such merger or amalgamation.
- 7.5 List of holders of five percent or more of voting rights or shares, directly or indirectly, of the parties to the combination.
- 7.6 List names of CEO/CFO/directors/partners/trustees/person in charge/persons acting in concert during the last one year. Also provide recent detailed organizational chart of each of the combining parties.

**8. Information about the size of the Combination**

- 8.1 How do the parties to the combination meet the criteria for filing notice, in terms of assets /turnover given under section 5 of the Act and the notification thereunder?
- 8.2 Furnish the following details, as per audited annual accounts of the immediately preceding financial year as well as for the current year, separately, for all the parties to the combination. If annual accounts for the immediate preceding financial year are not audited, furnish the following details as per the last audited annual accounts as well as for the subsequent financial years:

Name of enterprise(s)	Year	Value of assets		Aggregate Turnover	
		In (Rs. crore)	India In crore)	Worldwide (US\$ in Million).	In (Rs. crore)

- 8.3 Furnish the following details for the current financial year, separately, for all the parties to the combination):

Name of enterprise(s)	Year	Value of assets		Aggregate Turnover	
		In (Rs. crore)	India In crore)	Worldwide (US\$ in Million).	In (Rs. crore)

**8.4 Aggregate for the proposed Combination:**

Furnish the following details as per last audited annual accounts of the immediately preceding financial year. If annual accounts for the immediate preceding financial year are not audited, furnish the following details as per the last audited annual accounts as well as for the subsequent financial years:

Value of Assets	Aggregate Turnover

For the proposed combination	For the financial year immediately preceding the date of notice	For the current financial year, for the completed calendar quarters till the date of notice	For the financial year immediately preceding the date of notice	For the current financial year, for the completed calendar quarters till the date of notice.
In India (Rupees in crore) (as per audited accounts) (mention year)				
Worldwide (US\$ in million) (as per audited accounts) (mention year)				
In India (Rupees in crore) (as per unaudited accounts) (mention year)				
Worldwide (US\$ in million) (as per unaudited accounts) (mention year)				

- 8.5 Furnish the following details in case of a group, to which the entity whose control, shares, assets or voting rights have been acquired or are being acquired would belong to or the entity remaining after the merger or the entity created as a result of amalgamation would belong to after acquisition/merger/amalgamation, as the case may be, namely:

	Value of Assets	Aggregate Turnover
--	-----------------	--------------------

Group	For the financial year immediately preceding the date of notice	For the current financial year, the completed calendar quarters till the date of notice	For the financial year immediately preceding the date of notice	For the current financial year, the completed calendar quarters till the date of notice
In India (Rupees in crore) (as per audited accounts)				
Worldwide (US\$ in billion) (as per audited accounts)				
In India (Rupees in crore) (as per unaudited accounts)				
Worldwide (US\$ in billion) (as per unaudited accounts)				

#### 9. Ownership and Control

- 9.1 Furnish a list of all the enterprises belonging to the same group for each of the parties to the combination and list all the enterprise(s) controlling the parties to the combination, directly or indirectly, along with the nature and means of control.
- 9.2 Whether the party to the combination, either singly or jointly, directly or indirectly control the affairs or management of another entity or group? If yes, please furnish the following:
  - (a) details of enterprise(s) exercising control and enterprise(s) whose affairs are being controlled;
  - (b) form and manner in which the control is exercised; and
  - (c) details of common directors/partners/coparceners/trustees.
- 9.3 Whether the parties to the combination and another enterprise or group referred to at 9.1 and 9.2 above, are engaged in production, distribution or trading of similar or identical or substitutable products or provision of similar/identical/substitutable services? If yes, provide following details :
  - (a) names of similar or identical or substitutable products or services; and
  - (b) market share of each of the products or services mentioned in (a) above, prior to and after the combination.
- 9.4 Whether any of the parties to the combination is engaged in any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and services or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of production chain in which any other party to the combination is involved? If yes, provide details.
- 9.5 Furnish details of the intended structure of ownership and control of the acquired enterprise(s) /acquirer enterprise(s)/combined enterprise(s) after completion of the combination.

#### 10. Details about the products or services

- 10.1 Furnish the following details:
- Provide separately the products (manufactured and/or sold) or services of the parties to combination.
  - Characteristics and end use of products or services (Attach current selling aids and promotional material of the concerned products or services).
  - Do the parties to combination produce/provide similar or identical or substitutable products or services, discussing specifically whether the parties to combination are engaged in any business activities in the same relevant market?
  - Market shares of the similar or identical or substitutable products or services of the parties to combination and also of rivals/competitors for similar or identical or substitutable products or services.
  - Details of in-house consumption (both in terms of quantity and value), if any.
  - Existence/availability of other specialised producers/suppliers. (Submit documents that identify specialised producers/suppliers or discuss the competitive position of specialised producers/ suppliers).
  - Industrial classification of products or services. (Submit documents sufficient to show how the parties to combination classify and sell their products).
- 10.2 Are there any regulations/laws/rules/procedures/official press notes/directions/notifications, etc. which restrict production, supply, distribution of the similar or identical or substitutable products or services of the parties to the combination? (Submit documents sufficient to demonstrate such restraints).
- 10.3 Are the similar or identical or substitutable products or services subject to local specifications prescribed by government/departments/authorities? If yes, provide details. (Submit documents and material sufficient to describe any specifications with which the parties to combination must comply).
- 10.4 Are there any licensing/registration requirements to set up facilities for production/supply of the similar or identical or substitutable products or services? Does their production/supply require any special technical knowledge that is not readily available?
- 10.5 Are there any Government procurement policies which offer special dispensation to the parties to combination or their competitors? (Attach sufficient documents/material).
- 10.6 How important/significant are "distribution facilities" of the similar or identical or substitutable products or services? Furnish details of your distribution channels and service networks (for example maintenance and repair) along with the ones that exist in the market. (Submit documents or material sufficient to show the location of all distribution facilities and any strategic plans or maps relating to distribution system of each similar or identical or substitutable product or service).
- 10.7 Whether the product can be transported? If yes, what are the possible modes of transportation? What is the unit cost of transportation per kilometre? What is the ratio of transportation cost to the sale price? (Submit documents sufficient to show shipping or transportation costs incurred in the distribution of the similar or identical or substitutable products or services).

- 10.8 State and explain (in your opinion) the scope of relevant product and relevant geographic market in relation to the proposed combination. Also provide a list of products and/or services which, in your opinion, may not fall within the scope of relevant market as mentioned above, but may pose competitive constraints.
- 10.9 Furnish the following :
- (a) the manner in which the parties to combination produce, price and sell the product and/or service in the relevant market. Also submit documents pertaining to price lists, pricing plans, pricing policies, pricing strategies, pricing analysis and pricing decisions for the previous two years as well as pricing forecast, of the parties to the combination relating to the relevant products and/or services.
- (b) details of prices of product and/or services in the relevant market relating to major competitors and imports , if any, during the last two years. (Attach copies of price- lists, along with the analysis, if any).

- 10.10 What, in your opinion, is the minimum viable scale (which means the smallest amount of production at which the average cost equals the price currently charged for the relevant product or services), the minimum and optimum plant size, capacity utilization rate, production volume and all factors required to attain any available cost savings? Provide details with supporting documents.

**11 Information on the Market Structure (Demand and Supply Structure, Market Entry and Innovation)**

- 11.1 Provide an estimate (indicate the relevant source and basis of estimate) of the total size of the market in terms of value of sales (in rupees) and volume (units) of identical/substitutes/similar products or services produced/distributed/supplied in India. Also provide name and contact details of five largest competitors (along with market shares), customers and suppliers.
- 11.2 Provide details with regard to sales in value (in rupees) and volume (units) along with an estimate of the market shares of each of the parties to the combination for identical/substitutes/similar products or services produced/distributed/supplied in India. (In case of a group same information should be given for all parties of the group).
- 11.3 Furnish a list of your main competitors, in your opinion, in the relevant market, with reasons and analysis.
- 11.4 An estimate of the market share in value (and where appropriate, in volume), of all the competitors (including importers) having at least five percent of the relevant market under consideration (in your opinion).
- 11.5 Describe the state of competition in the relevant market, supported by market studies, forecast, surveys etc, (if any) and including but not limited to the following:
- (a) relative strength / weaknesses of parties to the combination and other major players in the relevant market;
- (b) supply and demand conditions; and
- (c) attempts to win customers from other competitors and loss of customers to other competitors.

- 11.6 What is the level of concentration in the relevant market? How much will the level of concentration change after the proposed combination takes effect? (Provide number of enterprise(s) before and after the combination takes effect). For concentration levels provide an estimate of HHI (Herfindahl - Hirschman Index), along with change in the index post-combination. (Indicate the market shares used as a basis to calculate the HHI and the source from which the same have been obtained).
- 11.7 How many enterprise(s) have entered or attempted to enter the relevant market in the last five years? Provide their names, addresses, telephone numbers and e-mail addresses. Is there a likelihood of entry of enterprise(s) of significant size in the relevant market in the next one to two years? (Attach sufficient documents/material in support).
- 11.8 How many enterprise(s) have exited or attempted to exit from the relevant market in the last five years? Provide their names, addresses, telephone numbers and e-mail addresses and reasons of exit.
- 11.9 If any of the parties to the combination have entered in the relevant market in last five years, provide details of barriers to entry encountered, if any, along with analysis.
- 11.10 Describe the various factors influencing entry into the relevant market, including but not limited to the following:
- (a) the total costs of entry (R&D, production, establishing distribution system, promotion, advertising, servicing and so forth) on a scale equivalent to a significant viable competitor, indicating the market share of such a competitor;
  - (b) the portion of initial investment that will be permanently lost on exit;
  - (c) any legal or regulatory barriers to entry, such as government authorization or standard setting in any form, as well as barriers resulting from product certification procedures, or the need to have a proven track record;
  - (d) any restriction created by the existence of patents, know-how and other intellectual property rights (IPRs) in these markets and any restrictions created by licensing such rights. (Provide details information separately for each combining party);
  - (e) provide details of IPRs that have been developed and registered by the parties to the combination in the last five years? With reference to the relevant market(s) , provide details of IPRs that are held by each of the parties to the combination;
  - (f) the importance of economies of scale in the production or distribution of products and services in the relevant market; and
  - (g) access to sources of supply, such as availability of raw materials and necessary infrastructure.
- 11.11 Provide details of imports (total value, volume and sources) and its proportion to the total size of the relevant market for the relevant products and services for the last three years. Also, provide details of potential imports in the next one or two years. Also provide the difference in unit selling price, if any, between the imported and domestic price of similar or identical or substitutable products or services in the relevant market.
- 11.12 Provide details of exports (total value, volume and sources) and its proportion to the total size of the relevant market for the relevant products and services for the last three years? Provide the names of top five exporters and their contact details.

11.13 Identify some of the largest independent suppliers to the parties to the combination and their individual shares or purchases from each of these suppliers (of raw materials or goods used for purposes of producing the relevant products in your opinion). Mention their names, addresses and contact details.

11.14 Specify whether any of the parties to the combination, or any of the competitors have 'pipeline products or services' (products or services likely to be brought to the market in the near future) or have plans to expand or contract production or sales capacity. If so, provide an estimate of the projected sales and market shares of the parties to the combination over the next three to five years.

11.15 If the parties to the combination have few large buyers for the similar or identical or substitutable products or services, furnish their names, addresses and contact details along with their individual shares in your sales/supply.

11.16 Explain the structure of demand in the relevant market, including the following, supported by the documents/data relied upon by the parties to the combination, while taking decisions in the ordinary course of business:

- (a) role of product differentiation in terms of attributes or quality and the extent to which the products or services of the parties to the combination are close substitutes; and
- (b) role of switching cost (in terms of time and expense) for customers when changing from one supplier to another.

11.17 Are there any obligations to comply with language requirements, if any, in respect of the products/user's manual, etc. in any part of India? If yes, provide details. (Attach documents/ material sufficient to show any impact language has on the sale or distribution of each similar or identical or substitutable product or service).

11.18 Explain the importance of R&D capabilities of an enterprise to compete in the relevant market. Explain the nature and extent of the R&D activities, if any, carried out by the parties to the combination over the past few years.

11.19 State the intended R&D activities, subsequent to the combination taking effect and their likely impact on the nature of competition in the relevant market.

11.20 Have any of the parties to the combination or any other enterprise(s) in the relevant market radically affected the market conditions recently with new technology or business model or by rapid use of available capacity or by any other means? If so, give details supported by analysis.

## **12. Documents of compliance and filing in other jurisdictions**

12.1 Whether any order has been passed on a competition issue by any Competition Authority/Court/Tribunal/Government/Regulatory Authority in the last five years in respect of the parties to combination? If yes, provide brief details of said order, indicating the issue and the direction of the authority.

- 12.2 Whether any bankruptcy/winding-up application/proceedings involving any of the parties to the combination have been filed with the relevant authorities in the last five years? If yes, provide details.
- 12.3 Furnish details of any application/notification/intimation/information relating to the proposed combination filed in a High Court/Company Law Board/Securities and Exchange Board of India or any other authority established under any law in India along with the status thereof and certified copies of the decision in the matter, if any.
- 12.4 Whether this combination is subject to filing requirements in jurisdictions other than India? If yes, list the notified, or to be notified, jurisdictions along with the certified copy (s) of the order (s)/decision (s) passed in that jurisdiction.
13. The parties to the combination are also encouraged to submit any other information that they believe could assist the Commission in assessing the proposed combination and the markets involved.

(Attach documents/reports/materials, if any, in support of the above)

**Notes:**

- (1) The parties to the combination, in providing the above information including the supporting documents, as far as possible, are required to rely on the documents/data used in the ordinary course of taking business decisions.
- (2) If any third party information/estimates are being relied upon by the notifying parties, then the relevant source of such information/estimates shall be clearly indicated.
- (3) If any additional information is needed by the Commission for determining whether a combination would have the effect of or is likely to have an appreciable adverse effect on competition in the relevant market, the parties to the combination may be required to furnish such additional information.
- (4) For the purpose of figures in this Form the accounting standards, as notified by the Government of India, from time to time, or the International Financial Reporting Standards or the US Generally Accepted Accounting Principles shall be followed.
- (5) Assets shall mean total assets and its value shall be computed in accordance with explanation (c) of section 5 of the Act.
- (6) The turnover shall be computed in accordance with section 2(y) of the Act, excluding indirect taxes, if any.
- (7) The rate of conversion of foreign exchange currency into Indian Rupees or US Dollars shall be based on the average spot rate of the last six months quoted by the Reserve Bank of India from the date calculated with reference to the event given in section 6(2) of the Act.
- (8) Unaudited figures shall be certified by the Managing Director, Director, the Chief Executive Officer or the Chief Financial Officer of the enterprise duly authorized by the board and accompanied by a certificate of the auditor of the enterprise.

**VERIFICATION**

Certified that this form, together with all appendices and attachments thereto, has been prepared and compiled under my supervision in accordance with the provisions of the Competition Act, 2002 and the rules and regulations made thereunder.

It is verified that the contents of this form, together with all appendices and attachments thereto, are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

However, where specific data/information is not available due to the absence of authentic source, reasonable estimates have been made, which are to the best of my knowledge true, correct and complete and in accordance with the provisions of the Competition Act, 2002 and the rules and regulations made thereunder.

First applicant

Name	Title
Son/Daughter of	
Signature	Date
	Place

(In case there are more than one applicants use the same format).

**IMPORTANT: ALL COMBINING PARTIES MUST VERIFY THE CONTENTS BY SIGNING ON EACH PAGE OF FORM AND ON THIS PAGE**

Subscribed and sworn before me at the,

City:

State:

Country:

Date:

Signature:

My Commission expires on:

(Notary Public)

[SEAL]

## FORM III

[See regulation 6]

## FORM FOR FILING OF DETAILS OF ACQUISITION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 6 OF THE COMPETITION ACT, 2002

Registration number (to be assigned by Competition Commission of India)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 1. Particulars of the parties filing details of acquisition :

Legal Name of the party(s) filing details of acquisition:

Principal Business Address (including Country/City/Area Code):

Telephone No. (including Country/City/Area Code):

Mobile No. (including Country/City/Area Code):

Fax No. (including Country/City/Area Code):

E-mail Address:

Website Address:

(in case there are more than one applicants use the same format for additional applicants).

## 2. Details of acquisition:

- (a) Describe the acquisition of control, shares (including share subscription or financing facility), voting rights or assets that the party filing details has taken, and the modalities involved therein. Describe the loan, financing facility, investment etc that the parties filing details has given to the entity whose shares, assets or control are being acquired or are liable to be so acquired.
- (b) Also explain as to how the provisions of sub-section (4) of section 6 of the Act are applicable in this case (attach documents/reports etc).

## 3. Whether the acquirer/buyer is:

- (a) public financial institution; or
- (b) foreign institutional investor; or
- (c) venture capital fund; or
- (d) bank.

## 4. Describe the nature and extent of acquisition and justification to the effect that acquisition attracts the provisions of sub-section (4) of section 6 of the Act.

5. Furnish details of approval by the board of directors of the acquirer or execution of agreement or other document and also whether filing of details is within the time specified, or otherwise, the extent of delay in filing and the reasons thereof.
6. Whether the "acquisition" is subject to foreign filing requirements, and, if yes, list the jurisdictions and furnish the details.
7. Whether details of acquisition being filed is original or corrective, and, in case of latter, indicate the date of original filing and attach a copy thereof.
8. Indicate as to whether: (i) entity to which loan has been given or investment has been made and (ii) any of the party to which the loan has already been given / investment has already been made, are engaged in production, supply, distribution, storage, sales or trade of similar or identical or substitutable "goods", or provision of "services" and if so, the details thereof.
9. Whether the acquisition of control, shares (including share subscription or financing facility), voting rights or assets that the party filing details has taken, meets the threshold limits as provided in section 5 (a) or (b) of the Act. If yes, describe how either the parties filing details of such acquisition or the group to which the enterprise whose shares, assets, voting rights or control is being acquired shall belong pursuant to such acquisition, meet the thresholds provided under the Act or by way of a notification provided by the Central Government from time to time, based on the audited annual accounts of the financial year immediately preceding the financial year in which the acquisition has taken place. If the annual accounts for the immediate preceding financial year are not audited, furnish the details as per the last audited annual accounts as well as for the annual accounts of the each subsequent year, duly certified by the Managing Director/ Chief Executive Officer/ Chief Financial Officer as per the authorisation of the Board(s) of the parties concerned and supported by the certificate of the Auditor of the enterprises, up to the financial year immediately preceding the year in which the acquisition has taken place.
10. What is the 'relevant product market' of the products or services whose control, shares, assets or voting rights have been acquired or are being acquired?
11. What is the 'relevant geographic market' of the products or services whose control, shares, assets or voting rights have been acquired or are being acquired?
12. What is the relevant market for the acquisition keeping in view the relevant product market and relevant geographic market?  
(In case relevant market has been worked on the basis of some study or is based on market report, the details of the organization which conducted the study and furnished the report and whether the organization which conducted the study and furnished report is a related party and whether any grant has been made to such organization which has given the report may also be furnished.)
13. To determine 'control' \*the following information is to be furnished:

Parties to acquisition	Details of entities exercising control	Form and manner in which control is exercised.	Details of common Directors / Partners/ Co-parceners/ Trustees.

\* Note: Furnish details of the nature of direct as well as indirect control as the case may be.

14. Whether, in your opinion, the acquisition of control, shares (including share subscription or financing facility), voting rights or assets is likely to cause or has caused an appreciable adverse effect on competition in the market in India?
15. Any other additional information which, in your opinion, is relevant may be furnished.

#### VERIFICATION

Certified that this form together with all appendices and attachments thereto has been prepared and compiled under my supervision in accordance with the provisions of the Competition Act, 2002 and the rules and regulations made thereunder.

It is verified that the details of acquisition, under sub-section (5) of section 6 of the Act, which have been filed, are true to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

However, where specific data /information is not available due to the absence of authentic source reasonable estimates have been made, which are to the best of knowledge true, correct and complete and in accordance with the provisions of the Competition Act, 2002 and the rules and regulations made thereunder.

Name* Son/Daughter of	Title
Signature	Date Place

\* Enclose letter of authorisation in original, duly and legally issued by the Public Financial Institution/ Foreign Institutional Investor/ Bank/ Venture Capital Fund.  
(in case there are more than one applicants use the same format.)

Subscribed and sworn before me at the

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Country \_\_\_\_\_

The \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ the year

Signature \_\_\_\_\_

My Commission expires on \_\_\_\_\_

(Notary public)

[SEAL]

#### FORM IV

[See regulation 22]

#### Details of combination under subsection (2) of Section 29 of the Competition Act, 2002

1. The Competition Commission of India ("Commission") is investigating into the combination between [•] (name and address) and [•] (name and address).
2. The details of the combination in form of the summary, as provided by the parties to the combination under column 1 of Form II are as under :
3. In order to determine whether the combination has or is likely to have an appreciable adverse effect on competition in the relevant market in India, the Commission invites comments/ objections/ suggestions in writing, from any person(s) adversely affected or likely to be affected by the combination, to submit in writing, as provided under sub-section (3) of section 29 of the Act, to be addressed to the Secretary, Competition Commission of India, the Hindustan Times House, 7th Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, within fifteen working days from the date of this publication.
4. The comments/objections/suggestions shall state:
  - (a) name, address and contact details of the person(s) writing to the Commission, and
  - (b) with supporting documents, how such a person(s) is adversely affected or is likely to be affected by the combination, keeping in view the relevant provisions of the Act/ factors provided under sub-section (4) of Section 20 of the Act.

The Commission is not likely to consider unsubstantiated objections.

S. L. BUNKER, Secy.

[ADVT. III/4/187-M/11/Exty.]